

## अध्याय- I

### राज्य सरकार के वित्त

#### 1.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश भारत सरकार द्वारा किये गये राज्यों के वर्गीकरण पर आधारित एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। जहां बिना विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता का अनुपात 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण है, वहीं हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार द्वारा विशेषाधिकार के रूप में वित्तीय सहायता का अनुपात 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण है।

इसके बावजूद विगत दशक में राज्य ने पर्याप्त आर्थिक विकास देखा है तथा वर्ष 2003-04 से 2012-13 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद<sup>1</sup> की मिश्रित विकास दर लगभग 13.28 प्रतिशत रही है (परिशिष्ट-1)।

यह अध्याय चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार के वित्त का विस्तृत परिदृश्य दर्शाता है तथा गत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों के दृष्टिगत विगत वर्ष से सम्बन्धित मुख्य राजकोषीय सकल योगों में मुख्य परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। वर्ष 2011-12 में ₹ 645 करोड़ का राजस्व अधिशेष 2012-13 के दौरान ₹ 576 करोड़ के राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2011-12 में ₹ 1633 करोड़ का राजकोषीय घाटा बढ़कर 2012-13 के दौरान ₹ 2979 करोड़ (परिशिष्ट 1.3) हो गया तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.13 प्रतिशत था। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (वर्ष 2011 में संशोधित) में तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था।

#### राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है तथा इसके उत्तर में जम्मू तथा कश्मीर, पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में पंजाब, दक्षिण पूर्व में हरियाणा व उत्तराखंड तथा पूर्व में चीन स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र (55673 वर्ग कि०मी०) की दृष्टि से यह 17वां सब से बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह 20वां सब से बड़ा राज्य है। जैसाकि परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या 2001 में 0.61 करोड़ से बढ़कर 2011 में 0.69 करोड़ हो गई, जिससे 13 प्रतिशत की एक दशक वृद्धि हुई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 10 प्रतिशत थी, जो अखिल भारतीय औसत (27.50 प्रतिशत) से कम थी। 2012-13 में चालू मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 72076 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 76.50 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 83.78 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई। वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 82611 थी।

#### सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक दी गई कालावधि में राज्य में उत्पादित सभी आधिकारिक रूप से मान्य अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजारी मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की

<sup>1</sup> परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को इंगित करता है। प्रचलित मूल्यों परराज्य तथा भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियांतालिका 1.1 में इंगित की जाती है।

### तालिका 1.1

#### सकल राज्य उत्पाद/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियां

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बाजारी मूल्यों पर भारत का सकल राज्य उत्पाद( करोड़ों में )	5630063	6477827	7795313	8974947	10028118
सकल राज्य उत्पाद की वृद्धि दर ( प्रतिशत )	12.89	15.05	20.34	15.13	11.73
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ( करोड़ों में )	41483	48188	56355	63812	72076( अ )
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर ( प्रतिशत )	22.1	16.16	16.95	13.23	12.95

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

#### 1.1.1 वर्ष 2012-13 के दौरान चालू राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.2 विगत वर्ष (2011-12) की तुलना में चालू वर्ष (2012-13) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है। परिशिष्ट 1.4 चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण तथा समग्र राजकोषीय स्थिति दर्शाती है।

### तालिका 1.2

#### 2012-13 में राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

( ₹ करोड़ )

प्राप्तियां	2011-12	2012-13	संवितरण	2011-12	2012-13		
	कुल	कुल		कुल	आयोजनेत्तर	योजनागत	योग
<b>प्रवर्ग -क: राजस्व</b>							
कर राजस्व	4108	4626	सामान्य सेवाएं	5690	6571	47	6618
कर-भिन्न राजस्व	1915	1377	सामाजिक सेवाएं	5147	4853	1278	6131
संघीय करों/शुल्कों का भाग	1999	2282	आर्थिक सेवाएं	3049	2664	754	3418
भारत सरकार से अनुदान	6521	7313	सहायता अनुदान तथा अंशदान	12	7	--	7
राजस्व प्राप्तियां	14543	15598	राजस्व व्यय	13898	14095	2079	16174

प्राप्तियां	2011-12	2012-13	संवितरण	2011-12	2012-13		
	कुल	कुल		कुल	आयोजनेत्तर	योजनागत	योग
प्रवर्ग -ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	--	पूंजीगत परिव्यय	1810	96	1859	1955
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	25	21	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	493			469
लोक ऋण प्राप्तियां	1984	3371	लोक ऋण की चुकौती	1128	--	2117	2117
आकस्मिकता निधि	--	--	आकस्मिकता निधि	--	--	--	--
लोक लेखा प्राप्तियां	9237	9146	लोक लेखा संवितरण	8526			8285
अथ रोकड़ शेष	635	569	अंत रोकड़ शेष	569			(-)295
<b>योग</b>	<b>26424</b>	<b>28705</b>	<b>योग</b>	<b>26424</b>			<b>28705</b>

स्रोत: वित्त लेखे

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है:

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1055 करोड़ (सात प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि कर-राजस्वों (₹ 518 करोड़), संघीय करों/शुल्कों का भाग (₹ 283 करोड़), सहायता अनुदानों (₹ 792 करोड़) में हुई वृद्धि तथा कर-भिन्न राजस्व में कमी (₹ 538 करोड़) का शुद्ध परिणाम था।
- कर-भिन्न राजस्व 2011-12 में ₹ 1915 करोड़ से ₹ 538 करोड़ घट कर 2012-13 में ₹ 1377 करोड़ हो गया। कर-भिन्न राजस्व में कमी ब्याज प्राप्ति, वन तथा वन्य जीवन विभाग तथा विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण थी।
- विशेष दर्जा प्राप्त राज्य होने से राजस्व प्राप्तियों का 47 प्रतिशत भारत सरकार से अनुदानों के रूप में आता है। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में राजस्व प्राप्तियां सात प्रतिशत तक बढ़ी, जबकि इस अवधि के दौरान राजस्व व्यय सारभूत रूप से 16 प्रतिशत बढ़ा।
- राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2276 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि आयोजनेत्तर व्यय में तथा योजनागत व्यय में क्रमशः ₹ 1898 करोड़ तथा ₹ 378 करोड़ थी। सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में क्रमशः ₹ 928 करोड़, ₹ 984 करोड़ और ₹ 369 करोड़ की वृद्धि हुई।
- राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को वेतन संशोधन के बकायों तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ता की किस्तोंकी अदायगी के कारण थी।
- पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान ₹ 145 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत (₹ 80 करोड़) तथा सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत (₹ 64 करोड़) के कारण थी, जबकि सामान्य सेवाओं के अंतर्गत व्यय स्थिर रहा। वसूलियों तथा ऋणों व अग्रिमों का संवितरण विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ चार करोड़ (16 प्रतिशत) तथा ₹ 24 करोड़ (पांच प्रतिशत) कम हो गया।
- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों तथा संवितरणों में क्रमशः ₹ 1387 करोड़ (70 प्रतिशत) तथा ₹ 989 करोड़ (88 प्रतिशत) की वृद्धि थी।

- वर्ष 2012-13 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में क्रमशः ₹ 91 करोड़ (एक प्रतिशत) तथा ₹ 241 करोड़ (तीन प्रतिशत) की कमी आई।
- अथ तथा अंत नकद शेष में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 66 करोड़ तथा ₹ 864 करोड़ की कमी आई।

### 1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राज्य द्वारा अपनाए गए राजकोषीय नीति सुधारों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दरें प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास तथा ठोस राजकोषीय प्रबंधन की नीति।
- वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के लिए मध्यवर्ती राजकोषीय नीति से सम्बन्धित रणनीति अर्थात् राज्य की अपनी कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों में निरन्तर उत्फुल्लता बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से वित्तीय संसाधनों पर बल तथा विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु न्यूनतम उधार लेना।
- राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य उर्जा की बिक्री के माध्यम से वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं का तीव्र गति से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- दृढ़ आर्थिक विकास की वृद्धि के माध्यम से घाटों से सम्बन्धित लक्ष्यों को प्राप्त करना।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रति मुख्य राजकोषीय परिवर्तनों पर राज्य सरकार का निष्पादन।

### तालिका 1.3 मुख्य राजकोषीय परिवर्तन

राजकोषीय परिवर्तन	2012-13						
	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण में किए गए प्रक्षेप	वास्तविक आँकड़े	वास्तविक आँकड़ों का प्रतिशत परिवर्तन		
					राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण के प्रक्षेप
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण करें	0.55	--	(-)0.80	--	(-)245.45	--
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	3.00	2.88	3.00	4.13	37.67	43.40	37.67
सरकार के कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (प्रतिशत में)	44.40	40.10	41.03	39.70	(-) 10.58	(-)0.99	(-)3.24

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे


वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व घाटा (राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति का अन्तर) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.8 प्रतिशत था तथा वर्ष 2012-13 के बजट प्राक्कलनों के प्रति 45 प्रतिशत अधिक था। राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम में प्रस्तावित राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण नहीं कर सकी। राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, बजट तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण में उल्लिखित क्रमशः तीन, 2.88 तथा तीन प्रतिशत के लक्ष्य के प्रति सकल राज्य घरेलू उत्पादन का 4.13 प्रतिशत था।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, बजट तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण में निर्धारित क्रमशः 44.4, 40.10 तथा 41.03 के लक्ष्य के प्रति वर्ष 2012-13 के दौरान कुल बकाया ऋण तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 39.70 था। तथापि, राजकोषीय असंतुलनों में कोई सुधार नहीं था, क्योंकि 2011-12 की राजस्व अधिशेष (₹ 645 करोड़) स्थिति से चालू वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य का राजस्व घाटा (₹ 576 करोड़) था तथा राजकोषीय घाटा 2011-12 में ₹ 1633 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 2979 करोड़ हो गया।

### 1.1.3 बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रलेख एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष के प्रक्षेपों का विवरण अथवा आय तथा व्यय के अनुमान उपलब्ध करवाते हैं। समूचे आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के संदर्भ में राजस्व तथा व्यय के प्राक्कलन की शुद्धता का महत्व व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट प्राक्कलनों से विचलन कई कारणों जिनमें से कुछ सरकार के नियंत्रण में होते हैं और कुछ सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं, से अपेक्षित राजकोषीय उद्देश्यों तथा आशाओं की प्राप्ति न करने को इंगित करता है। 2012-13 के कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय प्राचलों के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े चार्ट 1.1 में दर्शाए जाते हैं:

चार्ट 1.1 चयनित राजकोषीय प्राचल: बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े



स्रोत: आय तथा व्यय (जनवरी 2013) तथा वित्त लेखे 2012-13 की समीक्षा

जैसा कि चार्ट 1.1 से देखा जाएगा, अनेक प्राचलों के मामले में बजट प्राक्कलनों तथा वास्तविक आंकड़ों में व्यापक परिवर्तन थे। वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹ 745 करोड़ (4.56 प्रतिशत) कम थी तथा राजस्व व्यय ₹ 205 करोड़ (1.28 प्रतिशत) अधिक था, जिसके फलस्वरूप बजट में अनुमानित ₹ 374 करोड़ के राजस्व अधिशेष के प्रति ₹ 576 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। वास्तविक राजकोषीय घाटा ₹ 1041 करोड़ अधिक था, जबकि अनुमानित प्राथमिक अधिशेष ₹ 920 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया। अनुमानित ₹ 2003 करोड़ के कर-भिन्न राजस्व के प्रति 2012-13 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वास्तविक वसूली ₹ 626 करोड़ (31 प्रतिशत) कम थी। ₹ 2250 करोड़ की अनुमानित ब्याज अदायगियों के प्रति चालू वर्ष के दौरान की गई वास्तविक अदायगियां ₹ 2370 करोड़ थी।

*पूँजीगत व्यय के मुख्य अपवाद जो बजट प्राक्कलनों में अधिक दर्शाए गए थे, सहित राज्य के बजट ने राजस्व व्यय, ब्याज भुगतानों तथा राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटों को कम अनुमानित किया था। राजस्व प्राप्तियों को इसके संघटकों के तथा कर-भिन्न राजस्व सहित अधिक आंका गया था।*

#### 1.1.4 लिंग बजटिंग

14 नवम्बर 2008 को सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग में लिंग बजटिंग कक्ष का गठन किया गया, किन्तु सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग का दो विभागों महिला तथा शिशु कल्याण तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक कार्य में द्विशाखन के उपरांत 2013 में महिला तथा शिशु कल्याण विभाग में लिंग बजटिंग कक्ष का गठन किया गया। महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु 100 प्रतिशत की आवंटन सीमा तक 10 स्कीमों में थी तथा तीन स्कीमों में आंशिक आवंटन की थी, जिनका उल्लेख परिशिष्ट 1.5 में किया गया है।

#### 1.1.5 बजट में मुख्य नीतियां बनाने के लिए पहल करना

2012-13 का बजट प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने का वचन दिया था कि वित्तीय बाधाएं होने के बावजूद विकास की गति धीमी नहीं होगी। सरकार ने ₹ 130 करोड़ के प्रावधान के साथ इमदादी मूल्यों पर सभी राशन कार्ड धारकों को तीन दालें, दो खाद्य तेल तथा नमक देने वाली स्कीम जारी रखी। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के प्रभुत्व वाले वास क्षेत्रों में संरचनात्मक लुप्तियों को दूर करने के लिए ₹ 10 करोड़ के बजट आवंटन के साथ "गुरु रविदास नागरिक सुविधा स्कीम" बनाई गई। ₹ 147 करोड़ के बजट प्रावधान से 277817 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जानी थी। 2012-13 के दौरान इन स्कीमों पर सरकार के मुख्य नीति प्रारम्भ कार्य तथा बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्ययतालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

## तालिका1.4

मुख्य नीतियां बनाने के लिए पहल करना, बजट प्रावधान तथा व्यय

(₹ करोड़ )

क्र०सं०	स्कीम का नाम	बजट प्रावकलन	संशोधितप्रावकलन	व्यय	संशोधित प्रावकलनों के प्रति व्यय की प्रतिशतता
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	146.32	158.39	156.90	99
2	अटल स्कूल वर्दी योजना	प्रावधान नहीं	28.63	28.63	100
3	पं० दीन दयाल किसान बागवान समृद्धि योजना	50.00	43.84	43.68	100
4	अटल स्वास्थ्य सेवा योजना	10	10	10	100
5	गुरू रवि दास नागरिक सुविधा स्कीम	10	10	10	100
6	बेटी है अनमोल	2.21	3.71	4.17	112

स्रोत: अनुदानों के लिए मांग, विनियोजन लेखे तथा विभागीय आंकड़े।

सरकार द्वारा जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करना एक अग्रता प्राप्त क्षेत्र समझा गया। ₹ 146.32 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹ 156.90 करोड़ का व्यय किया गया है। तथापि, प्रत्यक्ष उपलब्धियों में दो प्रतिशत की कमी थी, जो पेंशनभोगियों की मृत्यु अथवा अपात्रता के कारण प्रत्येक तिमाही के दौरान लाभग्राहियों के अस्थायी रिक्त लेखों के कारण थी तथा तदनंतर तिमाही में नए आवेदकों के साथ प्रतिस्थापित किए गए, जो नियमित प्रक्रिया है।

‘अटल स्कूल यूनीफार्म योजना’ स्कीम के अंतर्गत बजट भाषण में मुख्यमंत्री के द्वारा ₹ 60 करोड़ का बजट परिव्यय आख्यापित किया गया जिसके अंतर्गत बिना किसी आय सीमा के भेदभाव के 10 वीं कक्षा तक के सभी राजकीय स्कूल विद्यार्थियों को स्कूल यूनीफार्म के दो सैटों का वितरण किया जाना था। ₹ 28.63 करोड़ का व्यय किया गया तथा सभी 511728 लक्षित विद्यार्थियों को 1023456 यूनीफार्म के सैट प्रदान किए गए, जिससे 100 प्रतिशत के लक्ष्य की प्राप्ति की गई।


किसानों तथा बागवानों की आर्थिक स्थिति में क्रान्ति लाने के लिए वर्ष 2012-13 का बजट प्रस्तुत करते समय बजट भाषण में पंडित दीन दयाल कृषि बागवान समृद्धि योजना स्कीम के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा ₹ 50 करोड़ के बजट परिव्यय का आख्यापन किया गया। किसान बागवान समृद्धि योजना भाग-I(पोली हाऊस) तथा भाग-II(माइक्रो सिंचाई) के अंतर्गत ₹ 43.84 करोड़ के संशोधित बजट के प्रति ₹ 43.68 करोड़ का व्यय किया गया तथा 100 प्रतिशत के लक्ष्यों की प्राप्ति की गई। तथापि, अनुसूचित जाति उप-योजना तथा जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत ₹ 6.32 करोड़ अभ्यर्पित किए गए।

## 1.2 राज्य के संसाधन

### 1.2.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों के दो भाग हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करते हैं। राजस्व प्राप्तियां कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्वों, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से समाविष्ट हैं। पूंजीगत प्राप्तियां अपनिवेशों से आगमों, ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजारी ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋणों व अग्रिमों जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंतर्निष्ठ है। इसके अतिरिक्त संवितरण के बाद लोक लेखों में उपलब्ध निधि का भी सरकार द्वारा घाटे को पोषित करने हेतु उपयोग किया जाता है। तालिका 1.1 वार्षिक वित्त लेखों में अभिलिखित वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य की आय तथा संवितरणों को दर्शाती है, जबकि चार्ट 1.2, 2008-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है।

निम्नवत फ्लोचार्ट वर्ष 2012-13 के संसाधनों के संघटक तथा उप-संघटक दर्शाता है।




जैसाकि उपर्युक्त फ्लोचार्ट से स्पष्ट है, ₹ 28136 करोड़ की कुल प्राप्तियां 55 प्रतिशत की राजस्व प्राप्तियों, 33 प्रतिशत की लोक लेखा प्राप्तियों तथा 12 प्रतिशत की पूंजीगत प्राप्तियों से समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों



में भारत सरकार से सहायता अनुदान का शेयर, कर राजस्व, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्य का शेयर तथा कर-भिन्न राजस्व क्रमशः 47 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा नौ प्रतिशत था।

(₹ करोड़)



विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां नौ प्रतिशत बढ़ कर ₹ 25789 करोड़ से ₹ 28136 करोड़ ही गई, जिसमें से 55 प्रतिशत (₹ 15598 करोड़) राजस्व प्राप्तियों से आए। 2008-11 के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का शेयर लगभग स्थिर (51-52 प्रतिशत) रहा, जो 2011-12 में बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया, किन्तु चालू वर्ष के दौरान फिर एक प्रतिशत कम हो गया। दूसरी ओर 2008-13 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों (बाजारी उधार तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशिष्ट प्रतिभूतियों) तथा लोक लेखा प्राप्तियां कुल प्राप्तियों के 44 तथा 49 प्रतिशतके मध्य थी।

राजस्व प्राप्तियां 2008-09 में ₹ 9308 करोड़ से शीघ्रतापूर्वक 68 प्रतिशत बढ़ कर 2012-13 में ₹ 15598 करोड़ हो गई, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां 2008-09 में ₹ 2270 करोड़ से बढ़ कर (49 प्रतिशत) 2012-13 में ₹ 3392 करोड़ हो गई। लोक लेखा प्राप्तियां 2008-09 में ₹ 6760 करोड़ से जल्दी बढ़कर 2011-12 में ₹ 9237 करोड़ हो गई, किन्तु 2012-13 में घट कर ₹ 9146 करोड़ हो गई। 2008-13 की अवधि के दौरान लोक लेखा प्राप्तियां 33 तथा 37 प्रतिशत के मध्य थी।

### 1.2.2 भारत सरकार द्वारा राज्य बजट के बाहर के राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई निधियां

महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक सैक्टरों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों<sup>2</sup> को निधियों का अंतरण कर रही है। जैसाकि वर्तमान तंत्र में इन

<sup>2</sup> परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

निधियों का अंतरण राज्य बजट/राज्य कोष पद्धति के माध्यम से नहीं होता है, अतः इनका राज्य के वित्त लेखों में उल्लेख नहीं मिलता है।

2012-13 के दौरान ₹ 1202 करोड़ की केन्द्रीय निधियां (परिशिष्ट 1.6) सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित की गईं। भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त मुख्य कार्यक्रम जहां पर निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित की गईं, का उल्लेख तालिका 1.5 में किया जाता है।

### तालिका 1.5

#### राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई निधियां

(₹ करोड़)

कार्यक्रम/स्कीम	राज्य का कार्यान्वयन अभिकरण	2012-13 के दौरान भारत सरकार द्वारा सीधे अंतरित की गई निधियां	कुल उपलब्ध निधियों में से प्रयुक्त की गई राशि*	विगत वर्ष की तुलना में विकास/मानवीय क्षेत्रों में सुधार अनुपात
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास अभिकरण	361.30	492.70	2011-12 में 4831578 श्रमदिन सहित 48043 घरों को रोजगार दिया गया, जबकि 2012-13 में 4068202 श्रमदिन सहित 40394 घरों को रोजगार दिया गया।
सर्वशिक्षा अभियान	हिमाचल प्रदेश राज्य प्राथमिक शिक्षा सोसायटी	107.37	253.09	वर्ष 2012-13 में 116952 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सैट वितरित किए गए जबकि वर्ष 2011-12 में 163401 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सैट वितरित किए गए।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन	102.24	139.10	2011-12 में 2557 वासक्षेत्र आवृत्त किए गए, जबकि 2012-13 में यह संख्या 2544 थी।
ग्रामीण आवास इन्दिरा आवास योजना	परियोजना निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास अभिकरण	29.00	30.64	वर्ष 2012-13 में 6283 घर पूर्ण किए गए, जबकि 2011-12 में 5972 घर पूरे किए गए।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	हिमाचल प्रदेश राज्य प्राथमिक शिक्षा सोसायटी	20.35	37.42	2012-13 में 20 स्कूल भवन पूरे किए गए, जो स्कीम के प्रारम्भ में संस्वीकृत किए गए थे।
		<b>620.26</b>	<b>952.95*</b>	

\* विगत वर्ष के अथ शेष तथा अन्य प्राप्तियों भी समाविष्ट है।

स्रोत: सी0पी0एम0एस0 तथा विभागीय आंकड़े

₹ 361.30 करोड़ की राशि (कुल अंतरित की गई निधियों का 30 प्रतिशत, ₹ 107.37 करोड़ (8.93 प्रतिशत) सर्व शिक्षा अभियान के लिए तथा ₹ 102.24 करोड़ (8.5 प्रतिशत) की राशि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए दी गई। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 2012-13 के दौरान ₹ 1202 करोड़ सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए गए, जिससे राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹ 28136 करोड़ से बढ़ कर ₹ 29338 करोड़ हो गई। भारत सरकार द्वारा सीधे कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित की गई निधियों का अनुश्रवण करने के लिए राज्य में कोई अभिकरण नहीं है और राज्य कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली और भारत सरकार द्वारा सीधे निधिक की जाने वाली मुख्य प्लेगशिप स्कीमों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों पर एक विशेष वर्ष में वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई सुनिश्चित करने के लिए पहले से तैयार कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन तथा प्रभावशीलता की संक्षिप्त परिस्थिति का उल्लेख उत्तरवर्ती परिच्छेदों में किया जाता है।

### राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

ग्रामीण जलापूर्ति की समस्या के महत्व को मध्यदृष्टि रखते हुए भारत सरकार 1972-73 से केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयास भी जुटा रही है। ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में संशोधित (अप्रैल 2009) किया जा चुका है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को संपोषित आधार पर पीने तथा खाना बनाने के लिए तथा अन्य घरेलू मूल आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना है।

### पेयजल आपूर्ति स्कीमों की प्रास्थिति

निष्पादनार्थ प्रारम्भ की गई 3359 स्कीमों (मार्च 2009से पूर्व चल रही:1154, 2009-10: 545, 2010-11: 758, 2011-12: 623 तथा 2012-13: 279) में से 370 चल रही अपूर्ण स्कीमों के अतिरिक्त 31 मार्च 2013 तक 2989 स्कीमों पूर्ण की जा चुकी थी।

### भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियां प्रयुक्त न करना - ₹ 36.76 लाख

2009-13 की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत ₹ 609.98 करोड़ की निधियां प्रदान की गई तथा इनके प्रति ₹ 3.30करोड़ का ब्याज प्रोदभूत हुआ। इसमें से बचत खाते में जुलाई 2013 को पड़े ₹ 36.74 करोड़ के अप्रयुक्त बकाया के अतिरिक्त राज्य सरकार ₹ 576.54 करोड़ प्रयुक्त कर चुकी थी।

### वास क्षेत्रों की आवृत्ति

दिशानिदेशों के अनुसार प्रतिदिन की आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर ग्रामीण जनसंख्या को प्रति व्यक्ति 40 लीटर पेयजल प्रदान किया जाना था। राज्य के 53201 वास क्षेत्रों में से 4651 वास क्षेत्रों के अतिरिक्त 48550 वास क्षेत्रों (राज्य सांख्यिकीय:2012-13) अर्थात् 91 प्रतिशत में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रदान किया गया था।

### राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, जो केन्द्र तथा राज्य में 75:25 (2012-13 से 50:50) के अनुपात में लागत शेयरिंग के साथ 2009-10 में सम्पूर्ण भारत में प्रारम्भ की गई। स्कीम का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की पहुंच तथा इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। 20 स्कूल भवनों का समापन किया गया तथा ₹ 1.21 करोड़ प्रारम्भिक क्रियाकलापों जैसे जनशक्ति संसाधनों, कार्यशालाएं आयोजित करने आदि पर व्यय किए गए।

### वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

2012-13के दौरान हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसायटी के पास ₹ 37.38 करोड़(अथ शेष: ₹ 7.84 करोड़) भारत सरकार अंशदान:₹ 20.35 करोड़, राज्य सरकार शेयर: ₹ 6.79 करोड़, अन्य प्राप्तियां:

2.40 करोड़) उपलब्ध थे, जिसमें से ₹ 37.42 करोड़ व्यय किए जा चुके थे तथा ₹ 0.04 करोड़ की आधिक्य राशि अनावर्ती अनुदान से व्यय की गई।

### स्कूल अवसंरचना का सृजन

- i) वर्ष 2009-10(69) तथा 2011-12 (45) के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 114 नए स्कूल भवन संस्वीकृत किए गए। 2011-12 के दौरान संस्वीकृत 45 स्कूलों में से अगस्त 2013 तक राज्य केवल 35 नए स्कूलों को अधिसूचित कर सका।

संस्वीकृत किए गए 114 कार्यों में से 81 स्कूल भवनों (2010-11: 64 तथा 2011-12:17) के निर्माणार्थ अनुबंध किए गए तथा शेष 33 कार्य भूमि अनुपलब्धता के कारण प्रारम्भ नहीं किए जा सके। 2010-11 में हस्ताक्षरित 64 अनुबंधों में से अगस्त 2013 तक केवल 20 स्कूलों का निर्माण पूर्ण किया गया था तथा 29 स्कूलों का निर्माण प्रगति पर था। शेष 15 मामलों में से 14 मामलों में स्थल उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था तथा एक स्कूल को अधिसूचना से हटा दिया गया था जो निधियों के धीमे उपयोग को दर्शाता है तथा 17 स्कूल भवनों जिनके लिए 2011-12 के लिए अनुबंध किया गया था, में से कोई कार्य पूर्ण नहीं किया गया था।

- ii) उसी वित्त वर्ष में राशि व्यय करने के निदेशों सहित राज्य तथा जिला स्तर पर कार्यालयों के सुदृढीकरण, जनशक्ति संसाधनों, कार्यशालाएं आयोजित करने, आदि जैसे प्रारम्भिक कार्यों के लिए 2009-10 के दौरान ₹ 1.60 करोड़ (भारत सरकार से ₹ 1.20 करोड़ तथा राज्य सरकार से ₹ 0.40 करोड़) निस्तारित किए गए। अगस्त 2013 तक विभाग केवल ₹ 1.21 करोड़ प्रयुक्त कर सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.39 करोड़ अप्रयुक्त रहे। विभाग ने बताया कि भारत सरकार ने मार्च 2012 के उपरांत निधियों का व्यय करने के लिए अनुमत नहीं किया था, अतः निधियां प्रयुक्त नहीं की जा सकी। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग संस्वीकृति के दो वर्ष बाद भी निधियां प्रयुक्त नहीं कर सका, जिसके फलस्वरूप लाभभोगी अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे।


- iii) राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने 2009-10 (₹ 33.39 करोड़) तथा 2012-13 (₹ 48.87 करोड़) के दौरान अनावर्ती अनुदान के अंतर्गत ₹ 82.26 करोड़ प्राप्त किए, जिसके प्रति ₹ 41.55 करोड़ निष्पादन अभिकरणों (स्कूल प्रबंधन विकास समितियां ₹ 10.32 करोड़), हिमाचल शहरी विकास अभिकरण (₹ 14.48 करोड़) तथा भारत संचार निगम लिमिटेड (₹ 16.75 करोड़) को निस्तारित किए गए, जिससे मार्च 2013 के अन्त तक ₹ 40.71 करोड़ अप्रयुक्त रहे। विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि ₹ 13.66 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए थे तथा निर्माण अभिकरणों से निर्माण कार्य तीव्रता से करने तथा ₹ 27.90 करोड़ की शेष राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का अनुरोध किया गया था।

### 1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखों के विवरण -11में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है। राजस्व प्राप्तियां राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्वों, केन्द्रीय कर अंतरणों तथा सरकार के सहायता अनुदानों से समाविष्ट हैं।

2008-13 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा संघटन का परिशिष्ट 1.3 में उल्लेख किया जाता है तथा इन्हें चार्ट 1.3 में भी इंगित किया जाता है।

(₹ करोड़)



राजस्व प्राप्तियां 11 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि की दर पर 2008-09 में ₹ 9308 करोड़ से 2012-13 में तीव्रता से बढ़कर ₹ 15598 करोड़ हो गई, किन्तु 2012-13 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में केवल सात प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2012-13 के दौरान 38 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां करों तथा कर भिन्न राजस्व से समाविष्ट राज्य के अपने संसाधनों से आए तथा शेष 62 प्रतिशत केन्द्रीय करों तथा शुल्कों के राज्य के शेयर तथा शुल्कों (15 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (47 प्रतिशत) से समाविष्ट केन्द्रीय करों द्वारा अंशदान के रूप में आए।

**केन्द्रीय कर अंतरण:** केन्द्रीय कर अंतरण 2011-12 में ₹ 1999 करोड़ से 2012-13 में ₹ 2282 करोड़ होकर ₹ 283 करोड़ (14 प्रतिशत) बढ़ गए तथा वर्ष के दौरान ये राजस्व प्राप्तियों के 15 प्रतिशत से अंतर्विष्ट थे। यह वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 33 करोड़,) निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 91 करोड़) सीमा शुल्कों (₹ 32 करोड़) तथा सेवा कर (₹ 95 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

**सहायता अनुदान:** भारत सरकार से सहायता अनुदान 2011-12 में ₹ 6521 करोड़ से 2012-13 में ₹ 7313 करोड़ हो जाने से ₹ 792 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

सकल राज्य घरेलू उत्पादसे सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों का तालिका1.6 में उल्लेख किया जाता है।

### तालिका1.6

#### सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	9308	10346	12711	14543	15598
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	1.82	11.15	22.86	14.41	7.25
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद( प्रतिशत)	22.44	21.47	22.56	22.79	21.64
<b>उत्फुल्लता अनुपात<sup>3</sup></b>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्फुल्लता	0.08	0.69	1.35	1.09	0.56
राज्य के अपने कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में उत्फुल्लता	0.26	0.56	1.33	0.97	(-)0.03
राज्य के अपने करों के संदर्भ में राजस्व उत्फुल्लता	0.32	1.24	1.02	1.12	(-)21.97

2008-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में 1.82 प्रतिशत से 22.86 प्रतिशत तक संगत वृद्धि थी, किन्तु यह 2011-12 तथा 2012-13 में क्रमशः 14.41 प्रतिशत तथा 7.25 प्रतिशत तक गिर गई। यद्यपि 2012-13 में राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में कर प्राप्ति 2011-12 की तुलना में दो प्रतिशत बढ़ गई, किन्तु इस अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व ने चार प्रतिशत की गिरावट दर्शायी। विद्युत सैक्टर (₹ 509 करोड़), ब्याज प्राप्तियां (₹ 45 करोड़), वानिकी तथा वन्य जीवन (₹ 43 करोड़), विविध सामान्य सेवाएं (₹ 31 करोड़) आदि मुख्य क्षेत्र थे, जिन्होंने 2011-12 की तुलना में चालू वर्ष में गिरती हुई प्रवृत्ति दर्शायी।

2010-11 तथा 2011-12 के अतिरिक्त 2008-13 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम थी। इसके अतिरिक्त 2010-11 में राज्य के अपने करों का प्रफुल्लता अनुपात 0.26 प्रतिशत से बढ़कर 1.33 प्रतिशत हो गया, किन्तु 2011-13 की अवधि के दौरान घट कर क्रमशः 0.97 तथा (-)0.03 हो गया।

#### 1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

क्योंकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के शेयर का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, अतः संसाधनों की गतिशीलता में राज्य के निष्पादन का निर्धारण अपने करों तथा कर-भिन्न स्रोतों से समाविष्ट अपने संसाधनों के संदर्भ में किया गया।

<sup>3</sup> परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

वर्ष 2012-13 के राज्य के वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तेरहवें वित्त आयोग तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों द्वारा किया गया निर्धारण तालिका 1.7 में दिया जाता है।

### तालिका 1.7

प्रक्षेपों/प्राक्कलनों से सम्बन्धित वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत परिवर्तन

(₹ करोड़)

	13वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप	वास्तविक आंकड़े	के संदर्भ प्रतिशत परिवर्तन		
					13वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आंकलन	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप
कर राजस्व	4080	5057	4631	4626	13.38	(-) 8.52	(-) 0.11
कर भिन्न राजस्व	1356	2003	2095	1377	1.55	(-) 31.25	(-) 34.27

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

वर्ष 2012-13 के दौरान वास्तविक कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपों से 13.38 प्रतिशत तथा 1.55 प्रतिशत अधिक था, जबकि कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व दोनों बजट प्राक्कलनों से 8.52 प्रतिशत तथा 31.25 प्रतिशत कम था।

#### 1.3.1.1 कुल प्राप्तियां

मुख्य करों तथा शुल्कों के संदर्भ में सकल संग्रहण तालिका 1.8में दिया जाता है।

### तालिका 1.8

राज्य के अपने संसाधनों के संघटक

(₹ करोड़)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1246	1487 (19)	2101 (41)	2477 (18)	2728 (10)
राज्य आबकारी	432	500 (16)	562 (12)	707 (26)	810 (15)
वाहन कर	136	134 (- 1)	163 (22)	176 (8)	196 (11)
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस	98	113 (15)	133 (18)	155 (17)	173 (12)
भू-राजस्व	20	15 (- 25)	5 (- 67)	18 (260)	24 (33)
माल तथा यात्री कर	62	89 (44)	93 (4)	94 (1)	101 (7)
अन्य कर <sup>4</sup>	248	236 (- 5)	586 (148)	481 (- 18)	594 (23)
योग	2242	2574 (15)	3643 (42)	4108 (13)	4626 (13)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि इंगित करते हैं।

वर्ष 2011-12 जिसमें वार्षिक वृद्धि क्रमशः 10,15,11 तथा 12 प्रतिशत थी की तुलना में चालू वर्ष के दौरान बिक्री कर, व्यापार आदि, राज्य आबकारी, वाहन कर, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस क्रमशः ₹ 251 करोड़, ₹ 103 करोड़, ₹ 20 करोड़ तथा ₹ 18 करोड़ बढ़ गए।

<sup>4</sup> विद्युत पर कर एवं शुल्क: 2008-09: ₹79 करोड़; 2009-10: ₹39 करोड़; 2010-11: ₹302 करोड़; 2011-12: ₹185 करोड़; 2012-13: ₹262 करोड़; अन्य कस्तुओं पर कर एवं शुल्क: 2008-09: ₹169 करोड़; 2009-10: ₹197 करोड़; 2010-11: ₹284 करोड़; 2011-12: ₹296 करोड़; 2012-13: ₹332 करोड़

### 1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व की स्थिति तालिका 1.9 में दी जाती है।


**तालिका 1.9**  
**कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर**

(₹ करोड़)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ब्याज प्राप्ति	78	77 (-1)	70 (-9)	115 (64)	70 (-39)
लाभांश तथा लाभ	90	74 (-17)	64 (-14)	86 (34)	100 (16)
अन्य कर भिन्न राजस्व प्राप्ति जिनमें से -	1588	1633 (3)	1561 (-4)	1714 (10)	1207 (-30)
विविध सामान्य सेवाएं	5	1(-80)	2(50)	40(1900)	9(-78)
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	57	84(47)	82(-2)	104(27)	112(8)
वानिकी तथा वन्य जीवन	55	72(31)	65(-10)	107(65)	64(-40)
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	14	17(21)	31(82)	26(-16)	46(77)
लोक निर्माण कार्य	23	31(35)	35(13)	42(20)	40(-15)
जलापूर्ति तथा स्वच्छता	18	20(11)	26(30)	31(19)	34(10)
अन्य	1416	1408(-1)	1320(-6)	1364(3)	902(-34)
<b>योग</b>	<b>1756</b>	<b>1784 (2)</b>	<b>1695 (-5)</b>	<b>1915 (13)</b>	<b>1377 (-28)</b>

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/घाटा इंगित करते हैं।

विगत वर्ष की तुलना में 2009-10 तथा 2010-11 में क्रमशः एक प्रतिशत तथा नौ प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाली ब्याज प्राप्ति 2011-12 में बढ़ कर 64 प्रतिशत हो गई, किन्तु इनमें 2012-13 में पुनः 39 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई है। 2009-10 तथा 2010-11 में लाभांशों तथा लाभों की 19 तथा 12 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि थी, जो 2011-12 में 34 प्रतिशत बढ़ गई और 2012-13 में भारी रूप से 16 प्रतिशत गिर गई। अन्य कर-भिन्न राजस्व भी 2011-12 में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर से भारी रूप से 2012-13 में (-)30 प्रतिशत गिर गए। विविध सामान्य सेवाएं (-78 प्रतिशत), वानिकी तथा वन्य जीवन (-40 प्रतिशत) तथा लोक निर्माण कार्य (-15 प्रतिशत) मुख्य कर-भिन्न शीर्ष थे जहां वृद्धि में कमी आई। इस प्रकार विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 में कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर (-) 28 प्रतिशत थी, जिसे चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है।





## लोक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2013 तक राज्य सरकार द्वारा 21 लोक क्षेत्र उपक्रमों (तीन 619 (ख) कम्पनियों सहित) में ₹ 3399.01 करोड़ (पूँजीगत तथा दीर्घकालीन ऋण) का निवेश किया गया है, जिसका विवरण तालिका 1.10 में दिया गया है।

**तालिका 1.10**  
**निवेश का विवरण**

(₹ करोड़)

लोक क्षेत्र उपक्रम का प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			सकल योग
	पूँजीगत	दीर्घवधि ऋण	योग	पूँजीगत	दीर्घवधि ऋण	योग	
कार्यशील लोक क्षेत्र के उपक्रम	1608.24	1141.19	2749.43	560.88	11.80	572.68	3322.11
गैर-कार्यशील लोक क्षेत्र के उपक्रम	16.75	60.15	76.90	--	--	--	76.90
<b>योग</b>	<b>1624.99</b>	<b>1201.34</b>	<b>2826.33</b>	<b>560.88</b>	<b>11.80</b>	<b>572.68</b>	<b>3399.01</b>

19 कम्पनियों (एक गैर-कार्यशील कम्पनी कृषि-उद्योग पैकेजिंग इन्डिया लिमिटेड सहित) में से तीन कम्पनियाँ निर्माण अवस्था पर हैं तथा इन कम्पनियों के लाभ तथा हानि से सम्बन्धित लेखे तैयार नहीं किए जा रहे हैं।

इन कम्पनियों के नवीनतम उपलब्ध लेखों के अनुसार 9 कम्पनियों ने 20.93 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 6 कम्पनियों ने ₹ 425.16 करोड़ की हानि उठाई तथा केवल एक कम्पनी हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड ने ₹ 0.35 करोड़ का लाभांश घोषित किया है, जो इसकी प्रदत्त पूँजी का 10 प्रतिशत है।

### 1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त अनुदान तालिका 1.11 में दिए गए हैं।

**तालिका 1.11**  
**भारत सरकार से सहायता अनुदान**

(₹ करोड़)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
गैर-योजना अनुदान	2311	2052	2634	2647	2526
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	1700	2731	2680	3342	4179
केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान	5	5	1	27	28
केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	456	339	343	505	580
<b>योग</b>	<b>4472</b>	<b>5127</b>	<b>5658</b>	<b>6521</b>	<b>7313</b>
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	-2.08	14.64	10.36	15.25	12.15
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	48	50	45	45	47

2008-13 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कुल सहायता अनुदान ₹ 4472 करोड़ से बढ़ कर ₹ 7313 करोड़ हो गए। विगत वर्ष की तुलना में 2009-13 की अवधि के दौरान 15, 10, 15 तथा 12

प्रतिशत की वृद्धि थी, जबकि इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 45 तथा 50 प्रतिशत के मध्य थी। 2012-13 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कुल अनुदानों का गैर-योजना अनुदानों, राज्य योजना स्कीमों तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों का अंशदान 35, 57 तथा आठ प्रतिशत था।

### 1.3.3 केन्द्रीय कर अंतरण

तेरहवें वित्त आयोग के परिच्छेद 8.17 तथा 8.38 के अनुसार 0.781 प्रतिशत की दर पर केन्द्रीय करों के निवल आगम में राज्यों के आंतरिक ऋण (30.5 प्रतिशत से 32 प्रतिशत से उठाए गए) हिमाचल प्रदेश राज्य को सौंपे जाने थे। 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 की अवधियों के दौरान संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार ₹ 1715 करोड़, ₹ 1999 करोड़ तथा ₹ 2282 करोड़ की राशियों के वास्तविक केन्द्रीय कर अंतरण राज्य द्वारा प्राप्त किए गए। 2011-12 के दौरान ₹ 19 करोड़ के आधिक्य (वास्तविक संशोधित प्राक्कलन) को 2012-13 की वास्तविक प्राप्तियों (₹ 2301 करोड़) में से कटौती कर दी गई। सम्बन्धित कर शीर्षों के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण वृद्धि/कमी नहीं थी।

### 1.3.4 तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का इष्टतम उपयोग

तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों की सिफारिशों पर राज्य को अंतरण की उपयोगिता का विवरण तालिका 1.12 में दिया जाता है।

तालिका 1.12  
अंतरण तथा व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

क्र०स०	अंतरण	वित्त आयोग की सिफारिशें	राज्य सरकार द्वारा वास्तविक निस्तारण	सम्बन्धित राजस्व शीर्षों के अंतर्गत व्यय *	प्रयुक्त की गई राशि
1	स्थानीय निकाय				
सामान्य क्षेत्र	पंचायती राज संस्थाओं को मूल अनुदान	70.20	35.11	35.11	--
	निष्पादन अनुदान	48.45	50.57	50.57	--
विशेष क्षेत्र	पंचायती राज संस्थाओं को मूल अनुदान	30.00	15.00	15.00	--
	निष्पादन अनुदान	30.00	30.00	30.00	--
	शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान (मूल)	10.96	10.96	10.96	--
	सामान्य निष्पादन अनुदान	6.48	6.48	6.48	--
2	राज्य विशिष्ट अनुदान	20.00	20.00	20.00	--
3	प्रारम्भिक शिक्षा	23.00	23.00	23.00	--
4	आपदा राहत		94.32	89.14	5.18
5	सड़कें तथा पुल		93.75	93.75	
	योग	239.09	379.19	374.01	5.18

स्रोत: विभागीय आंकड़े

\* शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए अनुदानों को व्यय माना गया।

ज्यों ही राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों को निधियां निस्तारित की जाती हैं, तो उसे राज्य स्तर पर व्यय माना जाता है। वित्त आयोग की ₹ 239.09 करोड़ की सिफारिशों के प्रतिवर्ष

2012-13 में ₹ 379.19 करोड़ का निस्तारण किया गया। ₹ 379.19 करोड़ के वास्तविक निस्तारण में से ₹ 5.18 करोड़ को अप्रयुक्त छोड़ते हुए सम्बन्धित राजस्व शीर्ष के अंतर्गत व्यय ₹ 374.01 करोड़ था।

#### 1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन में प्रवृत्तियां तालिका 1.13 में दी जाती है।

तालिका 1.13

#### पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूंजीगत प्राप्तियां	2270	2587	3130	2009	3392
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	646	-	-
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	21	34	73	25	21
लोक ऋण प्राप्तियां	2249	2553	2411	1984	3371
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	21.63	13.52	(-) 5.56	(-) 17.71	69.91
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 19.23	61.90	114.71	(-) 65.75	(-) 16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	22.10	16.16	16.95	13.23	12.95
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	21.06	13.96	20.99	(-) 35.81	68.84

पूंजीगत प्राप्तियां 2008-09 में ₹ 2270 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 3392 करोड़ हो गई। प्रतिवेदन के वर्ष 2012-13 के दौरान विगत वर्ष (2011-12) की तुलना में पूंजीगत प्राप्तियों ने ₹ 69 प्रतिशत की वृद्धि की दर के साथ ₹ 1383 करोड़ की वृद्धि अभिलिखित की। चालू वर्ष के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली चार करोड़ घट गई, जबकि ऋणों तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि की दर क्रमशः 69.91 प्रतिशत तथा (-)16 प्रतिशत थी।

#### 1.4.1 ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां

राज्य सरकार ने पशुपालन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक, आदि जैसी संस्थाओं/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए थे। 2011-12 के दौरान वसूल किए गए ₹ 25 करोड़ की तुलना में राज्य सरकार ने 2012-13 के दौरान ₹ 21 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम वसूल किए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के रूप में ₹ 14 करोड़ प्राप्त किए गए, जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ सात करोड़ कम थे।

#### 1.4.2 आंतरिक स्रोतों ( बाजारी ऋण वित्त संस्थानों व बैंकों से उधार ) से ऋण प्राप्तियां

2012-13 के दौरान ₹ 3239 करोड़ की राशि प्राप्त की गई जो बाजारी ऋणों: ₹ 2360 करोड़ नाबार्ड से ऋण: ₹ 400 करोड़, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगमसे ऋण: ₹ आठ करोड़ तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां: ₹ 471 करोड़ से अंतर्विष्ट थी।

### 1.4.3 भारत सरकार से ऋण और अग्रिम

विगत तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के ऋणों और अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.14 में दी जाती है।

**तालिका 1.14**  
भारत सरकार से ऋण और अग्रिमों की स्थिति

(₹ करोड़)

	2010-11	2011-12	2012-13
अथ शेष	984	961	947
वर्ष के दौरान जोड़	39	80	132
वर्ष के दौरान निस्तारण	62	94	61
अंत शेष	<b>961</b>	<b>947</b>	<b>1018</b>
कुल व्यय की प्रतिशतता	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार ने राज्य योजना स्कीमों के लिए खण्ड ऋणों के रूप में ₹ 131.66 करोड़, राज्य गैर-योजना स्कीमों के लिए भवन निर्माणार्थ ₹ 0.11 करोड़ तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अन्य ऋणों के रूप में ₹ 0.04 करोड़ से अंतर्विष्ट राज्य को ऋण तथा अग्रिमों के रूप में ₹ 132 करोड़ प्रदान किए।

### 1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

कुल लेन-देनों के संदर्भ में लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेप, उचंत, जमा, आदि जैसी प्राप्तियां तथा संवितरण जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत संस्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मत की शर्ताधीन नहीं है। यहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरणों के बाद बकाया सरकार के पास वह निधि उपलब्ध होती है, जिसका सरकार उपयोग कर सकती है। लोक लेखा प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.15 में किया जाता है।

**तालिका 1.15**  
लोक लेखा प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
लोक लेखा प्राप्तियां					
क. लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि	1572	1659	2166	2100	2832
ख. आरक्षित निधि	464	295	433	285	188
ग. जमा तथा अग्रिम	1111	1224	1630	1780	1571
घ. उचंत तथा विविध	257	346	414	362	502
ङ जमा	3356	3297	3864	4710	4053
योग	<b>6760</b>	<b>6821</b>	<b>8507</b>	<b>9237</b>	<b>9146</b>

जैसा कि उक्त तालिका से स्पष्ट है, लोक लेखा प्राप्तियां 2009-10 में ₹ 6821 करोड़ से संगत रूप से बढ़ कर 2012-13 में ₹ 9146 करोड़ हो गई थी। विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 में लघु बचतों,


भविष्य निधि, आदि के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 732 करोड़ बढ़ी, जबकि इस अवधि के दौरान जमा तथा अग्रिम तथा प्रेषण क्रमशः ₹ 209 करोड़ तथा ₹ 657 करोड़ घट गए।

## 1.6 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आबंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मुख्य व्यय उत्तरदायित्व उनके द्वारा सौंपे जाते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के कार्य ढांचे में घाटों अथवा उधारों के माध्यम से वित्तपोषित सार्वजनिक व्यय उठाने में बचत बाधाएं आती हैं। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय शुद्धता तथा समेकन प्रक्रिया व्यय की लागत पर नहीं है, विशेषतः जब व्यय सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किया गया हो।


### 1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन


चार्ट-1.5 विगत पांच वर्षों (2008-13) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है तथा 'अर्थ व्यवस्था वर्गीकरण' व 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' की दृष्टि से इसका संघटन क्रमशः चार्ट 1.6 तथा चार्ट 1.7 में दर्शाया गया है।



- राज्य का कुल व्यय 14 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर 2008-09 में ₹ 11607 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 18598 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में वृद्धि ₹ 2397 करोड़ (15 प्रतिशत) थी। कुल व्यय में वृद्धि, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय में क्रमशः ₹ 2276 करोड़ तथा ₹ 145 करोड़ की वृद्धि के कारण थी, जबकि ऋण तथा अग्रिम ₹ 24 करोड़ घट गए।

- **राजस्व व्यय** :2008-09 से 2012-13 तक राजस्व व्यय 15 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर बढ़ा। यह चालू वर्ष के दौरान ₹ 13898 करोड़ से ₹ 16174 करोड़ हो कर ₹ 2276 करोड़ (16.38 प्रतिशत) बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय क्रमशः ₹ 928 करोड़, ₹ 984 करोड़ तथा ₹ 369 करोड़ बढ़ गया।
- **पूंजीगत व्यय**:पूंजीगत व्यय 2008-09 में ₹ 2079 करोड़ से 14 प्रतिशत घटकर 2010-11 में ₹ 1789 करोड़ हो गया किन्तु तत्सम्बन्धी विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में यह ₹ 21 करोड़ (एक प्रतिशत) तथा ₹ 145 करोड़ (आठ प्रतिशत) बढ़ गया। शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति (₹ 145 करोड़), सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 223 करोड़), आर्थिक जलापूर्ति सेवाओं के अन्तर्गत विद्युत परियोजनाएं (₹ 264 करोड़) तथा परिवहन (₹ 734 करोड़) लाभकारी सेक्टर थे जिनमें, 2012-13 के दौरान पूंजीगत व्यय किया गया था। तथापि, कुल व्यय के संदर्भ में पूंजीगत व्यय का शेयर संगत रूप से 2008-09 में 17.91 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 10.51 प्रतिशत हो गया।
- ऋण तथा अग्रिम कुल व्यय का ₹ 469 करोड़ (तीन प्रतिशत) था, जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ 24 करोड़ घट गया।





व्यय के इन संघटनों के सापेक्ष शेयर ने इंगित किया कि व्यय के मुख्य संघटकों में अंतवर्ष परिवर्तन थे। सामान्य सेवाओं (ब्याज अदायगियों सहित) जिसे गैर-विकासात्मक माना जाता है 2008-09 में 34.31 प्रतिशत से घट कर 2010-11 में 33.53 प्रतिशत हो गया, किन्तु 2011-12 तथा 2012-13 में क्रमशः 35.57 प्रतिशत तथा 35.98 प्रतिशत बढ़ गया। दूसरी ओर, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं दोनों पर विकासात्मक व्यय 2011-12 में 61.32 प्रतिशत के प्रति 2012-13 में 61.46 प्रतिशत था। 2012-13 के दौरान सामान्य सेवाओं तथा सामाजिक सेवाओं का शेयर मुख्यतः सामान्य शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (19 प्रतिशत), पेंशन व अन्य सेवानिवृति लाभ (15 प्रतिशत) तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण (पांच प्रतिशत) पर व्यय के संदर्भ में था।

### 1.6.2 राजस्व व्यय

चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 21.64 प्रतिशत थी, जबकि राजस्व व्यय 22.44 प्रतिशत था। राज्य का राजस्व घाटा ₹ 576 करोड़ था, जो चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.8 प्रतिशत था।

#### राज्य के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश

##### विद्युत उत्पादन

31 मार्च 2013 तक राज्य सरकार विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों में ₹ 1438.25 करोड़ का निवेश कर चुकी है, जिसमें से ₹ 352.68 करोड़ तथा ₹ 63.79 करोड़ का निवेश क्रमशः हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित में किया गया था। ये दोनों कम्पनियां निर्माण अवस्था पर हैं और इन्हें अभी वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ करने हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा किए गए ₹ 1021.78 करोड़ के निवेश के प्रति कम्पनी ने वर्ष 2010-11 के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार ₹ 885.59 करोड़ की हानियां संचित की थी।

### **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का विखंडन तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना**

2003 से पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का संस्थापन राज्य के विद्युत कार्यों का प्रबंधन करने हेतु था। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का विखंडन करने हेतु तीन कम्पनियों हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित एक उत्पादन उपयोगिता, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित एक संचरण उपयोगिता तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित एक वितरण उपयोगिता का क्रमशः दिसम्बर 2006, अगस्त 2008 तथा दिसम्बर 2009 में गठन किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीनों कम्पनियों में परिसम्पत्तियों का अंतरण करने हेतु हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार अंतरण स्कीम, 2010 (जून 2010) अधिसूचित की।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित को पहले से अंतरित की गई सभी परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां, सम्पत्तियों के लाभ तथा आकस्मिक निधियां हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित में निहित रहेंगी। तथापि, वितरण कार्यकलापों सहित 475.950 मेगावाट की कुल उत्पादन प्रतिष्ठापन क्षमता वाली 20 जल विद्युत परियोजनाओं का अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा किया जाएगा तथा 986 मेगावाट उत्पादन क्षमता की केवल छः नई जलविद्युत परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित को निर्माणार्थ अंतरित की गई थी।

संचरण लाईनों (वितरण पद्धति अथवा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के विद्यमान अथवा भविष्य के बिजली घरों से समर्पित लाइनों का अनिवार्य भाग न होने के कारण) से सम्बन्धित सभी परिसम्पत्तियां तथा देयताएं हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित को निहित/अंतरित रहेंगी। तदनुसार 66 के0वी0 तथा इसके ऊपर (278.860 सी0के0 एम) की 13 विद्यमान संचरण लाईनें 2009-11 के मध्य हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित को अंतरित की गई।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित वितरण क्रियाकलापों सहित अभी भी 13 संचरण लाइनों के अतिरिक्त अपने सभी विद्यमान उत्पादन तथा संचरण नेटवर्कों का प्रबंधन/प्रचालन कर रहा है। दो कम्पनियों (हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित) के लेखों को 2012-13 तक अंतिम रूप दिया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के लेखों को 2010-11 तक अंतिम रूप दिया जा चुका है, जिनमें कम्पनी ने ₹ 885.59 करोड़ की संचित हानियां दर्शायी हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रकल्पित विखंडन को सही अर्थों में प्राप्त नहीं किया गया।

### **शिक्षा**

राज्य सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा में निर्माण कार्यकलापों पर वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 113.06 करोड़, ₹ 25.82 करोड़ तथा ₹ 65.76 करोड़ का निवेश किया। निदेशक, उच्च शिक्षा ने बताया कि 2010-13 की अवधि के दौरान संस्वीकृत सभी कार्य प्रगति पर थे (सितम्बर 2013)।

इसी प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा में निर्माण कार्यकलापों पर 2010-13 की अवधि के दौरान निवेश क्रमशः ₹ 30.95 करोड़, ₹ 9.35 करोड़ तथा ₹ 11.51 करोड़ था।



### 1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार का राजस्व लेखा पर प्रतिबद्ध व्यय ब्याज भुगतानों, वेतनों तथा मजदूरियों, पेंशनों तथा इमदादों से समाविष्ट था। तालिका 1.16 तथा चार्ट 1.8 इन संघटकों पर 2008-13 के दौरान व्यय की प्रवृत्तियां प्रस्तुत करते हैं।


तालिका 1.16  
प्रतिबद्धित व्यय के संघटक

(₹ करोड़)

प्रतिबद्धित व्यय के संघटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वेतन तथा मजदूरियां, जिनमें से	3940	4788	5951	6215	7255*
आयोजनेत्तर शीर्ष	3813	4645	5784	5981	6999
योजनागतशीर्ष	127	143	167	234	256
ब्याज भुगतान	1894	1956	1950	2130	2370
पेंशनों पर व्यय	1154	1348	2105	2217	2747
इमदादें	369	403	439	465	567
योग	7357	8495	10445	11027	12939

\* वेतन: ₹ 7066 करोड़; मजदूरी: ₹ 189 करोड़

(₹ करोड़)



#### वेतन तथा मजदूरियां

2012-13 के दौरान वेतनों तथा मजदूरियों पर व्यय राजस्व प्राप्तियों के 47 प्रतिशत से अधिक था। यह 2011-12 में ₹ 6215 करोड़ से 17 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 7255 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान आयोजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत वेतन व्यय ₹ 1018 करोड़ (17 प्रतिशत) बढ़ गया, जबकि विगत वर्ष की तुलना में योजना शीर्ष में वेतन व्यय ₹ 22 करोड़ (नौ प्रतिशत)

बढ़ा। 2008-13 के दौरान आयोजनेत्तर वेतन व्यय कुल व्यय के 96 तथा 97 प्रतिशत के मध्य था। चालू वर्ष के दौरान वेतन व्यय मध्यवर्ती राजकोषीय योजना विवरण (₹ 6285 करोड़) में किए गए प्रक्षेपों से ₹ 781 करोड़ बढ़ गया, जिस पर राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

### **पेंशन भुगतान**

पेंशन भुगतानों पर व्यय 2008-09 में ₹ 1154 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 2747 करोड़ हो गया तथा विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 530 करोड़ तक बढ़ गया, जिससे विगत वर्ष की अपेक्षा 24 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। पेंशन भुगतानों पर 2012-13 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 18 प्रतिशत लेखाबद्ध था। चालू वर्ष हेतु पेंशन भुगतानों पर वास्तविक व्यय तेरहवें वित्त आयोग में किये गये प्रक्षेपणों (₹ 1748 करोड़) से बढ़ गया।

### **ब्याज भुगतान**

ब्याज भुगतानों में 2008-09 में ₹ 1894 करोड़ से 2012-13 में ₹ 2370 करोड़ तक 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा चालू वर्ष के दौरान ₹ 240 करोड़ की वृद्धि हुई। उधारों का मुख्य स्रोत पांच से 13.99 प्रतिशत तक की परिवर्ती ब्याज दरों पर बाजार ऋण हैं। चालू वर्ष हेतु ब्याज भुगतान तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों (₹ 2039 करोड़) तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों के प्रक्षेपणों (₹ 2250 करोड़) से बढ़ गए।

ब्याज भुगतान 2008-09 में ₹ 1894 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में ₹ 1956 करोड़ हो गए किन्तु 2010-11 में ₹ 1950 करोड़ की कमी हुई। वर्ष 2011-12 के दौरान ब्याज भुगतान ₹ 2130 करोड़ थे, जबकि चालू वर्ष में इसने विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 240 करोड़ की वृद्धि दर्शाई।

### **उपदान**

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज के अलाभप्रद वर्गों को उपदान/परिदान उपलब्ध करवाना कोई असामान्य बात नहीं। उपदानों का वितरण प्रत्यक्ष रूप में ही नहीं बल्कि परोक्ष रूप में भी लोगों को आर्थिक रूप से लोक सेवा उपलब्ध करवाना है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहायता, निवेशों पर अपर्याप्त प्रतिफल तथा सरकार द्वारा मुहैया सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की निकृष्ट वसूली उपदानों के परोक्ष वर्ग में आती है।

राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/निकायों/निगमों आदि को उपदानों का भुगतान कर रही है। उपदान 2008-09 में ₹ 369 करोड़ से 2012-13 में ₹ 567 करोड़ तक 54 प्रतिशत तथा विगत वर्ष की अपेक्षा 22 प्रतिशत तक बढ़ गए और यह राजस्व प्राप्तियों का लगभग चार प्रतिशत था। उपदानों के मुख्य संघटक खाद्य एवं आपूर्ति वस्तुएं (₹ 154 करोड़); परिवहन (₹ 97 करोड़); विद्युत (₹ 220 करोड़) तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जातियां एवं अल्पसंख्यक मामले (₹ 20.18 करोड़) थे।

2012-13 में ₹ 567 करोड़ का उपदान मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में किये गये (₹ 510 करोड़) प्रक्षेपणों की तुलना में अधिक था।

#### 1.6.4 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान विभिन्न संस्थाओं को जारी किये गये सहायता अनुदानों की विस्तृत स्थिति तालिका 1.17 में दी गई है।

**तालिका 1.17**  
**स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को जारी किए गए सहायता अनुदानों का विवरण**  
**(₹ करोड़)**

क्रमांक	संस्था का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाएं	203.49	231.14	311.25	314.89	405.62
2.	नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	82.46	115.92	92.26	122.94	174.09
3.	पंचायती राज संस्थाएं	188.45	217.92	256.28	263.95	282.09
4.	विकास अभिकरण	44.45	48.61	52.14	46.72	38.72
5.	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	4.85	41.25	48.11	69.70	87.77
6.	अन्य संस्थाएं	58.55	63.25	89.35	162.89	214.82
	<b>योग</b>	<b>582.25</b>	<b>718.09</b>	<b>849.39</b>	<b>981.09</b>	<b>1203.11</b>
	राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	6.17	6.44	6.09	7.06	7.43

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को 2008-13 की अवधि में दिये गए अनुदानों में लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी। यह विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान ₹ 222.02 करोड़ (22.62 प्रतिशत) तक बढ़ गए। राजस्व व्यय में अनुदानों के अंश की 2008-13 की अवधि के दौरान 6.09 प्रतिशत तथा 7.43 प्रतिशत के मध्य बढ़ती हुई प्रवृत्ति पाई गई। वर्ष 2012-13 के दौरान सहायता अनुदानों में तीव्र वृद्धि मुख्यतः विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं (₹ 90.73 करोड़), नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं (₹ 51.15 करोड़) तथा अन्य संस्थाओं (₹ 51.93 करोड़) को अधिक अनुदान जारी करने के कारण थी।

#### 1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन पहलुओं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएं प्रदान करवाने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय- निष्कर्ष सम्बन्धों का निर्धारण)में सम्मिलित है।

### 1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय की विकासात्मक कार्यकलापों पर व्यय प्रतिशतता 59 प्रतिशत थी, जबकि गैर विकासात्मक व्यय की प्रतिशतता 41 प्रतिशत थी। विगत वर्ष 2011-12 की अपेक्षा वर्ष 2012-13 में राजस्व व्यय में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक कार्यकलापों में व्यय में वृद्धि की प्रतिशतता क्रमशः 17 प्रतिशत एवं 16 प्रतिशत रही। राज्य के कुल योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय की तुलना में राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता क्रमशः 87 प्रतिशत एवं 11 प्रतिशत थी।

### 1.7.2 व्यय उपयोग की दक्षता

तालिका 1.18 के अनुसार, विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2012-13 के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में वेतन एवं मजदूरी में क्रमशः ₹ 516 करोड़ (14 प्रतिशत) एवं ₹ 306 करोड़ (20 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि सामाजिक सेवाओं में परिचालन एवं अनुसंधान व्यय में ₹ 73 करोड़ (29 प्रतिशत) की वृद्धि तथा आर्थिक सेवाओं में ₹ तीन करोड़ की कमी हुई। 2011-13 की अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में कुल व्ययके अनुपात में पूंजीगत व्यय क्रमशः 0.02 तथा 0.8 पर स्थिर रहा।

**तालिका 1.18**  
**विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यय**

(₹ करोड़ )

क्षेत्र	2011-12			2012-13		
	कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय		कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय	
		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन एवं अनुसंधान		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन एवं अनुसंधान
सामाजिक सेवाएं	0.02	3622	251	0.02	4138	324
आर्थिक सेवाएं	0.08	1526	860	0.08	1832	857

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय हि0प्र0 से वाऊचर स्तर कम्प्यूटराइजेशन सिस्टम

### 1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

अनुवर्ती राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन के कार्य ढांचे में राज्य से इसके राजकोषीय घाटे (तथा उधार) को न केवल निम्न स्तरों पर रखने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि इसके पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने के लिए तथा उधार निधियों की लागत को वसूल करने के लिए अपेक्षित पग उठाने की आवश्यकता है, ताकि इसे अन्तर्निहित उपदान के रूप में बजट से वहन न किया जाए तथा

वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित पग उठाएं। यह प्रवर्ग चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गए निवेशों तथा अन्य पूंजीगत व्ययों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रदर्शित करता है।

### 1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2013 तक अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.19 में दी गई है।

तालिका 1.19

#### अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

( ₹ करोड़ )

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	आरम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	31 मार्च 2013 को संचित वास्तविक व्यय	लागत वृद्धि
1.	2.	3.	4.	5.	6
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	9	38.04	74.36*	73.05	35.01
भवन एवं सड़क ( लोक निर्माण )	3	62.68	--	42.21	--
<b>योग</b>	<b>12</b>	<b>100.72</b>	<b>74.36</b>	<b>115.26</b>	<b>35.01</b>

स्रोत: वित्त लेखे

\* सात परियोजनाओं की संशोधितलागत उपलब्ध है।

सभी अपूर्ण परियोजनाओं में से केवल सात परियोजनाओं की संशोधित लागतें उपलब्ध थी, जिनकी ₹ 35.01 करोड़ की अधिक लागत आई। यह परियोजनाएं जुलाई 2005 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य पूरी की जानी थी। विलम्ब विश्लेषणों से सात वर्षों तक की समय वृद्धि का पता चला। 2010-13 की अवधि के दौरान कोई भी परियोजना परित्यक्त नहीं की गई।

### 1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

राज्य सरकार द्वारा निवेशों के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। 31 मार्च 2013 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में ₹ 2767 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.20)।

तालिका 1.20

#### निवेश प्रतिफल

( ₹ करोड़ )

निवेश/प्रतिफल/उधार लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	औसत 2008-13
वर्षांत में निवेश	2369	2663	2864	2448	2767	--
प्रतिफल ( लाभांश ब्याज )	89.58	73.49	64.11	85.65	100.09	--
प्रतिफल ( प्रतिशत )	3.78	2.76	2.24	3.50	3.62	3.18
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर ( प्रतिशत )	9.19	8.59	7.78	7.80	8.08	8.28
ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर ( प्रतिशत )	5.41	5.83	5.54	4.30	4.46	5.10

स्रोत: वित्त लेखे

मुख्य निवेश छ: सांविधिक निगमों/बोर्डों (₹ 1011.48 करोड़), 21 सरकारी कम्पनियों (₹ 603.41 करोड़) तथा एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सतलुज जल विद्युत निगम (₹ 1068.14 करोड़) में किया गया। सरकारी कम्पनियों में मुख्य प्राप्तकर्ता, जिन्होंने नवीनतम अन्तिम रूप से दिए गए लेखों के अनुसार हानियां संचित की थी वे हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 653.45 करोड़), हिमाचल प्रदेश वित्त निगम (₹ 127.43 करोड़), हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड (₹ 78.04 करोड़), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (₹ 70.01 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (₹ 3.11 करोड़) थे।

किए गए निवेशों पर 2012-13 में सरकार ने ₹ 100.09 करोड़ का प्रतिफल उपार्जित किया, जो 2011-12 के ₹ 14.44 करोड़ से कहीं अधिक है। 2008-13 के दौरान निवेश पर औसत प्रतिफल 3.18 प्रतिशत था, जबकि इस अवधि के दौरान उधारों पर अदा किए गए ब्याज की औसत दर 8.28 प्रतिशत थी। चालू वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की औसत दर तथा प्रतिफल के मध्य अन्तर 4.46 प्रतिशत था।

### 1.8.2.1 रूग्ण/अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अठारह सरकारी कम्पनियां तथा दो सांविधिक निगम आते हैं। इनमें से एग्रो इण्डस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड एक अक्रियाशील कम्पनी है, जिसमें सरकार ने 1994-95 तक इक्विटी के रूप में ₹ 16.75 करोड़ निवेश किए थे, जो ₹ 17.72 करोड़ की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 94.52 प्रतिशत है। वर्ष 2011-12 के अंतिम रूप से तैयार किये गये लेखाओं के अनुसार कम्पनी ने वर्ष 2011-12 के वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 0.24 करोड़ की हानि उठाई तथा 31 मार्च 2012 तक संचित हानियां ₹ 78.04 करोड़ थीं। कम्पनी का शुद्ध ऋणात्मक मूल्य ₹ 60.32 करोड़ था।

राज्य सरकार के निर्देशों पर (सितम्बर 2009), कम्पनी की गुम्मा कार्टन फैक्ट्री में प्रतिष्ठापित संयंत्र तथा मशीनरी अगस्त 2010 के दौरान विक्रय कर दिए गए तथा राज्य सरकार ने कम्पनी के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित कर दिया। वर्तमान में कम्पनी में दैनंदिन का काम देखने के लिए केवल तीन कर्मचारी हैं।

संयंत्र और मशीनरी को निपटाने के बाद राज्य सरकार ने एग्रो इण्डस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड को निष्क्रिय कम्पनी घोषित कर दिया (2 अप्रैल 2012) तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए प्रबन्धन को आगामी पग उठाने के लिए कहा, जिसके लिए मामला कम्पनी, राज्य सरकार तथा पंजीयक, कम्पनी के विचाराधीन था। प्रबन्धन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी (सितम्बर 2013)।

### 1.8.2.2 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में निवेश

सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में एवं संयुक्त उद्यमों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं के शीघ्र वितरण में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु अपूर्व एवं नवीन पद्धति प्रस्तुत करती हैं। मार्च 2013 तक हाथ में ली गई 19 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में से चार सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी थी तथा 15 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन थी जैसा कि परिशिष्ट 1.7 में वर्णित है। लेखापरीक्षा में 19 सार्वजनिक निजी

भागीदारी परियोजनाओं में से छः<sup>5</sup>सार्वजनिक निजी भागीदारी अनुबंधों की नमूना जांच की गई। अनुबंधों के महत्वपूर्ण पहलू जैसे परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण, राजस्व हिस्सेदारी तथा आकस्मिक देयताओं को परिशिष्ट 1.8 में शामिल किया गया है। नमूना जांचित तीन रज्जु मार्ग परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं (न्युगल तथा जाखू) के मामले में परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण शून्य मूल्य पर होना है, जबकि सोलंग परियोजना के मामले में परिसम्पत्तियों को मूल्यहास पुस्तांकित मूल्य पर हस्तांतरित किया जाना है। दो परियोजनाओं (सोलंग तथा जाखू) में परिचालन तथा अनुरक्षण के लिए निष्पादन गारण्टी प्राप्त करने का प्रावधान था लेकिन इस तरह की धारा न्युगल परियोजना के मामले में शामिल नहीं की गई। तीन पार्किंग कॉम्प्लेक्स परियोजनाओं की संवीक्षा ने बर्खास्तगी या फोर्स मेजयुर की स्थिति में प्रदाता प्राधिकरण के लिए आकस्मिक देयताओं के प्रावधान को दर्शाया, लेकिन 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित माध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में इन देयताओं को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

### 1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त राज्य सरकार शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, पशुपालन आदि जैसे क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है तालिका 1.21 में 31 मार्च 2013 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों, विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.21

राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ )

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत	2010-11	2011-12	2012-13
अथशेष	329	483	951
वर्ष के दौरान दी गई राशि	227	493	469
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि	73	25	21
<b>अंत शेष</b>	<b>483</b>	<b>951</b>	<b>1399</b>
निवल वृद्धि	154	468	448
ब्याज प्राप्तियां	11	21	14
बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां	2.28	2.21	1.19
विगत वर्ष के बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियां	8.22	8.06	8.39
प्राप्त ब्याज एवं प्रदत्त ब्याज की औसत दर के मध्य अंतर ( प्रतिशत)	(-) 5.94	(-) 5.85	(-) 7.20

स्रोत: वित्त लेखे

31 मार्च 2013 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹ 1399 करोड़ थी। उधार दिए गए ₹ 469 करोड़ के प्रति चालू वर्ष के दौरान केवल ₹ 21 करोड़ लौटाए गए, जिससे विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ चार करोड़ की कमी दर्ज की गई। 2012-13 के दौरान ऋणों के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में विद्युत क्षेत्र कम्पनियों (₹ 442.53 करोड़) थी। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की प्रतिशतता की तुलना में उधारों पर सरकार द्वारा अदा किए जा रहे ब्याज की औसत दर में भारी अन्तर था। 2010-12 के दौरान कमी

<sup>5</sup> संजौली, छोटा शिमला और लिफ्ट स्थित तीन पार्किंग कॉम्प्लेक्स, न्युगल (पालमपुर) स्थित रज्जुमार्ग, रज्जुमार्ग-सह-स्काई-सेंटर परियोजना, सोलांग (कुल्लू) तथा जाखू रज्जुमार्ग (शिमला)।

लगभग स्थिर थी, परन्तु 2012-13 के दौरान इसमें 1.35 प्रतिशत गिरावट आई। 2012-13 के दौरान बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में सरकार ने ब्याज प्राप्ति का प्रतिफल 1.19 प्रतिशत प्राप्त किया। तथापि, इस अवधि के दौरान इसने उधारों पर औसत 8.39 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया।

वर्ष 2012-13 के दौरान दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.22 में दी गई है।

**तालिका 1.22**  
**ऋण एवं अग्रिम**

(₹ करोड़)

ऋणी इकाइयां	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशी	शर्तों एवं प्रतिबंध	
			ब्याज की दर	ऋण स्थगन अवधि अगर कोई है
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम	1	0.19	ब्याज मुक्त	7 वर्ष
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	1	5.00	ब्याज मुक्त	जब तक निगम की परिसम्पत्तियों का निपटान किया गया
साख निगम ( एकीकृत बाल विकास परियोजना )	1	0.85	शर्तों एवं निबंधनों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है	
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	3	381.17	10 प्रतिशत	10 वर्ष
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण एवं विकास निगम सीमित	3	61.36	10 प्रतिशत	10 वर्ष
हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम	1	11.80	ब्याज मुक्त	5 वर्ष
सरकारी कर्मचारी	3	8.21	उपलब्ध नहीं	
<b>योग</b>	<b>13</b>	<b>468.58</b>		

₹ 468.58 करोड़ में से ₹ 16.99 करोड़ की राशि के ऋण ब्याज मुक्त, ₹ 442.53 करोड़ के ऋण 10 प्रतिशत की दर पर तथा ₹ 0.85 करोड़ के ऋण शर्तों एवं निबंधनों को अन्तिम रूप दिये बिना दिये गये। इसके अतिरिक्त, ₹ 8.21 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को दिये गये।

### 1.8.3.1 शर्तों एवं प्रतिबंधनों को अन्तिम रूप दिये बिना ऋणों को संस्वीकृत करना/उधार देना

वर्ष 2012 के अक्टूबर माह में बिना बजटीय प्रावधान के तथा ऋण के लिए आवश्यक शर्तों एवं निबंधनों जैसे ऋण स्थगन, ऋण की किस्तों की संख्या, ब्याज की दर तथा ऋण चुकाने में चूक की स्थिति में ब्याज की दर इत्यादि के ₹ 4.80 करोड़ की राशि का ऋण मंहगाई भत्ते के रूप में कर्मचारियों को अदा करना था जिसके लिए राज्य सरकार ने गारण्टी दी थी, 23 अक्टूबर 2012 को हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के पक्ष में हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के ऋण पत्रों की क्षतिपूर्ति के रूप में संस्वीकृत किया गया तथा उद्योग निदेशक द्वारा मुख्य शीर्ष-“6885-01-190-01- हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम को ऋण” (मांग संख्या 18) के अन्तर्गत शिमला पूंजी कोष के वाउचर संख्या 01 के द्वारा आहरित किया गया। उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2006-07 तथा 2008-09 के दौरान विभिन्न इकाईयों को ₹ 7.50 करोड़ का ऋण दिया गया था जिसके लिए शर्तें तथा निबंधन अभी निर्धारित करने थे।

<sup>6</sup> शिमला नगर निगम: ₹ दो करोड़, हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित : ₹ 0.50 करोड़ तथा प्रधान सचिव, बहुउद्देश्य परियोजना एवं विद्युत: ₹ पांच करोड़।



ऐसा इंगित किए जाने पर (मार्च 2013), सरकार ने हिमाचल प्रदेश वित्त निगम को दिए गए ऋण की शर्तों तथा निबंधनों को अन्तिम रूप दिया (जून 2013)। शेष ऋणों के बारे में नियम एवं शर्तें लगाने हेतु कार्रवाई की जाए।

#### 1.8.4 'चैक तथा बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

लेन-देनों के आरम्भिक अभिलेख के लिए मुख्य शीर्ष 8670-चैक तथा बिल एक मध्यवर्ती लेखा शीर्ष है जिसका अन्ततः शोधन किया जाना होता है। इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष उन चैकों की राशि को दर्शाते हैं, जिनका नकदीकरण नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सभी कोष वास्तविक समय सकल समायोजन प्रणाली का संचालन करते हैं जहां सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, दिल्ली स्थित संचालित राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए ₹ 9.89 करोड़ मूल्य के चैकों द्वारा की गई गैर समायोजित राशि का भुगतान दिल्ली कोष से सम्बन्धित था जिसका अभी नई प्रणाली में परिवर्तित किया जाना था।

### 1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

#### 1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संयोजन

सरकार की विद्यमान लेखाकरण प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। **परिशिष्ट-1.4 ( भाग ख )** 31 मार्च 2013 तक ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का 31 मार्च 2012 को उनकी तदनुसूची स्थिति की तुलना में सार को दर्शाता है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखों एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है, परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों व रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

#### 1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट 1.3** में प्रदर्शित किया गया है। तथापि, विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं का संयोजन **तालिका 1.23** में प्रदर्शित किया गया है।

#### तालिका 1.23

#### राजकोषीय देयताएं - मूल मापदण्ड

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजकोषीय देयताएं ( ₹ करोड़ में )	21819	23713	26415	28228	30442
वृद्धि दर ( प्रतिशत )	12.36	8.68	11.39	6.86	7.84

निम्न के प्रति राजकोषीय देयताओं का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद* (प्रतिशत)	52.60	49.21	46.87	44.23	42.24
राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	234.41	229.20	207.81	194.10	195.16

\*आधार वर्ष 2004-05 पर संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2008-09 में ₹ 21819 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 30442 करोड़ हो गईं। राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं एवं लोक लेखा देयताएं समाविष्ट हैं। समेकित निधि देयता (₹ 20765 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 11809 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹ 1018 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹ 7938 करोड़, जिनमें भारत सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष सुरक्षा पर ₹ 5349 करोड़) समाविष्ट हैं।

लोक लेखा देयताओं (₹ 9677 करोड़) में लघु बचतें तथा भविष्य निधियां (₹ 7850 करोड़), ब्याज वहन करने वाली देयताएं तथा ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसे निक्षेप (₹ 1602 करोड़) एवं आरक्षित निधियां (₹ 226 करोड़) समाविष्ट हैं।

2012-13 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि दर आठ प्रतिशत थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2008-09 में 52.60 प्रतिशत से निरन्तर घटकर 2012-13 में 42.24 प्रतिशत हो गया। ये देयताएं 2011-12 के दौरान 1.95 गुणा की तुलना में 2012-13 के अन्त तक राजस्व प्राप्तियों के 1.95 गुणा थीं।

### 1.9.3 आरक्षित निधि के अन्तर्गत लेन-देन

31 मार्च 2013 तक आरक्षित निधि में अंतशेष ₹ 225.70 करोड़ (साख) था। इसमें से ब्याज वाली आरक्षित निधि ₹ 9.05 करोड़ (साख) थी तथा इस निधि का ब्याज रहित अंश ₹ 216.65 करोड़ (साख) था। प्रचालित किये जा रहे मुख्य शीर्ष 8115-अवमूल्यन/आरक्षित निधि नवीकरण (₹ 0.01 करोड़) तथा 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि (₹ 9.04 करोड़) थे। ब्याज रहित आरक्षित निधियों के लिए 8226-अवमूल्यन/नवीकरण आरक्षित निधि (₹ 1.53 करोड़), 8229-विकास एवं कल्याण निधि (₹ 215.10 करोड़) तथा 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि (₹ 0.08 करोड़) लेखा शीर्ष प्रचालित किये गये थे।

**समेकित शोधन निधि:** 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए खुले बाजार ऋणों के परिशोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित एक समेकित शोधन निधि का सृजन करना अपेक्षित है। राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि विगत वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया खुले बाजार ऋणों का 0.5 प्रतिशत निधि में वार्षिक अंशदान दे। 31 मार्च 2012 तक बकाया देयताएं ₹ 28227.52 करोड़ थीं। अगर यहां एक समेकित शोधन-निधि होती, तो राज्य सरकार की 2012-13 में निधि के प्रति देयताएं ₹ 141.14 करोड़ (बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत) होती। तथापि, राज्य सरकार ने कोई समेकित शोधन निधि नहीं बनाई। उत्तर में वित्त विभाग ने बताया

(सितम्बर 2013) कि राज्य सरकार ने इस तरह की निधि नहीं बनाई थी क्योंकि पूर्व में चुकौती करने में कोई चूक नहीं हुई थी और भविष्य में इस तरह की चूक का आधार नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि बारहवें वित्त आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य सरकार ऐसी निधि का सृजन करने के लिए आबद्ध थी।

**राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि:**तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र तथा राज्य के 90:10 के आनुपातिक अंशदान से राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन करना होता है। यदि राज्य के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत पर्याप्त शेष नहीं है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में से भारत सरकार अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाती है। दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में से प्राकृतिक आपदाओं के लिए वास्तविक व्यय मुख्य शीर्ष 2245-राहत से सम्बन्धित लघु शीर्षों के अन्तर्गत पुस्तांकित किये जाने चाहिए। राज्य सरकार द्वारा लोक लेखा में प्रत्यक्ष व्यय नहीं किया जाना चाहिए। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्राप्त होने पर राज्य सरकार के लिए जरूरी होता है कि आवश्यक पुस्तांकित समायोजन करें ताकि निधि को व्यय के वर्ष में ही प्रयुक्त किया जा सके राज्य सरकारों द्वारा लोक लेखे से प्रत्यक्ष व्यय नहीं किया जाना चाहिए। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि की प्राप्ति पर राज्य सरकार को आवश्यक समायोजनों को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है जिससे निधि स्वतः व्यय वर्ष में समाप्त हो जाए। मार्च 2012 में राज्य ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत प्राप्त ₹ 42.91 करोड़ प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय के प्रति पुस्तांकित नहीं किए। इसके बदले, राज्य सरकार ने दिशा-निर्देशों के विपरीत राशि को 2012-13 में लोक लेखे को हस्तांतरित कर दिया।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 133.75 करोड़ प्राप्त किए, जो राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत प्राप्त ₹ 129.75 करोड़ के केन्द्रीय सरकार के भाग के 90 प्रतिशत से ₹ चार करोड़ अधिक थे। ₹ 14.86 करोड़ के इसके अपने भाग के प्रति राज्य सरकार ने ₹ 11.41 करोड़ जारी किए। ₹ 191.93 करोड़ (राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत ₹ 3.86 करोड़ का अथशेष, 2012-13 हेतु राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत ₹ 145.16 करोड़ तथा 2011-12 हेतु राष्ट्रीय आपदा राहत निधि के अंतर्गत ₹ 42.91 करोड़) के संग्रह के प्रति राज्य सरकार ने 31 मार्च 2013 तक निधि में पड़े ₹ 9.04 करोड़ के शेष को छोड़कर वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में व्यय के प्रति ₹ 182.89 करोड़ समायोजित किए। इस बीच मार्च 2013 में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत निधि के अंतर्गत ₹ 45.98 करोड़ की अतिरिक्त सहायता प्राप्त की, जिसे सरकार ने दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय के प्रति समायोजित नहीं किया था।

#### 1.9.4 अप्रचालनीय आरक्षित निधियां

दो आरक्षित निधियां अर्थात् मुख्य शीर्ष 8115-अवमूल्यन/नवीकरण आरक्षित निधियां-103-अवमूल्यन आरक्षित निधियां-सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम (₹ 0.01 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष 8226-

अवमूल्यन/नवीकरण आरक्षित निधि-101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की अवमूल्यन आरक्षित निधियां(₹ 1.53 करोड़)वर्ष 1970-71 से अप्रचालित रहीं।

### 1.9.5 आकस्मिक देयताएं

#### 1.9.5.1 गारंटियों की स्थिति

यदि ऋणी जिसकी गारंटी दी गई है कोई चूक करता है तो राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटियां आकस्मिक देयतायें हैं। अधिकतम राशि, जिसके लिए राज्य द्वारा गारंटियां दी गई थी तथा विगत तीन वर्षों की बकाया गारंटियां, जैसाकि वित्त लेखे के विवरण-9 में दर्शाया गया है, का विवरण तालिका 1.24 में दिया जाता है।

**तालिका 1.24**  
**हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां**

(₹ करोड़ )

गारंटियां	2010-11	2011-12	2012-13
गारंटीकृत अधिकतम राशि	6232	6208	9455
गारंटियों की बकाया राशि	3910	3316	3353
वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति गारंटीकृत अधिकतम राशि की प्रतिशतता	49	43	61

मार्च 2011 में संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि कुल बकाया गारंटियों को चालू वर्ष से पूर्व वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के 40 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए। विभिन्न निगमों तथा अन्य द्वारा उठाए गये ऋणों पर बकाया गारंटियां 2012-13 की समाप्ति पर ₹ 3353 करोड़ थी जो विगत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 23 प्रतिशत थी तथा 40 प्रतिशत की सीमा में थी। गारंटियों के प्राप्तकर्ता जिनके प्रति 31 मार्च 2013 को राशियां बकाया थी, पांच सांविधिक बोर्ड/निगम (₹ 3008 करोड़), छः सरकारी कम्पनियां (₹ 136 करोड़), एक सहकारी बैंक (₹ 204 करोड़) तथा एक स्थानीय/स्वायत्त निकाय (₹ पांच करोड़) थे। वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार द्वारा ₹ 3353 करोड़ राशि की 16 गारंटियां दी गईं। ₹ 0.06 करोड़ की प्राप्त की जानी वाली गारंटी फीस/कमीशन में से वस्तुतः ₹ 0.01 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 के दौरान गारंटियों अथवा कंफर्ट से सम्बन्धित पत्र जारी होने के सम्बन्ध में सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी।

दी गई गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटी विमोचन निधि को स्थापित किया जाना अपेक्षित था जैसा कि तेरहवें वित्तायोग द्वारा सिफारिश की गई थी। तथापि,

राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी किसी भी निधि को स्थापित नहीं किया है। उत्तर में वित्त विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि ऐसी निधि बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के किसी भी संगठन द्वारा किसी स्तर पर ऋण निर्वहन में चूक नहीं की गई थी।

### 1.10 ऋण प्रबन्धन

राजकोषीय घाटे को राज्य द्वारा सामान्यतः उधारों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। सकल ऋण वृद्धि 2010-11 में आठ प्रतिशत से 2011-12 में छः प्रतिशत कम हुई परन्तु 2011-12 के दौरान आठ प्रतिशत बढ़ गई। लोक ऋण चुकौती विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान 2009-10 में ₹ 867 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 2117 करोड़ हो गई तथा विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ₹ 989 करोड़ की तीव्र वृद्धि हुई। राज्य को 2012-13 के दौरान ₹ 576 करोड़ का राजस्व घाटा वहन करना पड़ा, जिसे वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 3371 करोड़ का लोक ऋण उठाकर वित्तपोषित किया गया।

#### 1.10.1 ऋण रूपरेखा

विगतचारवर्षों के समय अनुक्रम में प्रति व्यक्ति ऋण चुकौती को निम्न तालिका 1.25 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.25

#### प्रति व्यक्ति ऋण

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
जनसंख्या (करोड़ में)	0.6702	0.6767	0.6901	0.6971
कुल ऋण <sup>7</sup> (₹ करोड़ में)	23164	24961	26494	28615
प्रतिव्यक्ति ऋण (₹ में)	34562	36886	38392	41049

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

तालिका 1.25 प्रति व्यक्ति ऋण की 2009-10 में ₹ 34962 से 2012-13 में ₹ 41049 की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाती थी।

#### 1.10.2 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता का तात्पर्य एक समायावधि में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात का अनुरक्षण रखने से सम्बन्धित राज्य की दक्षता से है। अतः यह राज्य की ऋण निर्वहन दक्षता सूचित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त उन विभिन्न सूचकों, जो राज्य की ऋण धारणीयता<sup>8</sup> को निश्चित करते हैं, का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह प्रवर्ग ऋण स्थिरीकरण<sup>9</sup>; गैर-ऋण-प्राप्तियों<sup>10</sup> की पर्याप्तता; उधार

<sup>7</sup> आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, सामान्य भविष्य निधि/सामूहिक बीमा योजना आदि।

<sup>8</sup> परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

<sup>9</sup> परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

निधियों<sup>11</sup> की निवल उपलब्धता; ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के प्रति ब्याज भुगतानों द्वारा परिमित) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार राज्य सरकार की ऋण धारणीयता का निर्धारण करता है। वर्ष 2010-11 से आरम्भ करते हुए तीन वर्षों की अवधि हेतु इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण तालिका 1.26 में दिया जाता है।

**तालिका 1.26**  
**ऋण धारणीयता: सूचक एवं प्रवृत्तियां**

(₹ करोड़ )

ऋण धारणीयता के सूचक	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण स्थिरता ( प्रमात्रा विस्तार + प्राथमिक घाटा )	1462	2481	766
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता ( संसाधन अंतराल ) <sup>12</sup>	252	899	(-) 1346
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	752	(-)317	(-)155
ब्याज अदायगियों का भार ( ब्याज अदायगी/राजस्व प्राप्ति अनुपात )	0.153	0.146	0.152
<b>राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा ( वर्षों में )</b>			
0 – 1	952.61(5)	1496.44 (8)	1532.78(8)
1 – 3	3121.30(17)	3408.68 (17)	2945.74(14)
3 – 5	3346.47(18)	2853.82 (15)	4349.71(21)
5 – 7	3087.09(16)	4291.81 (22)	4380.07(21)
7 तथा इससे ऊपर	8146.89(44)	7459.94 (38)	7556.72(36)


लघु कोष्ठकों के आंकड़े लोक ऋण की प्रतिशतता को सूचित करते हैं

उपरोक्त तालिका 1.26 से प्रकट होता है कि प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार वर्ष 2010-11: ₹ 1462 करोड़, 2011-12: ₹ 2481 करोड़ और 2012-13: ₹ 766 करोड़ धनात्मक था। राज्य सरकार की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि लोक ऋण का 43 प्रतिशत ( 8828 करोड़ ) आगामी पांच वर्षों में चुकौती योग्य है, जबकि शेष 57 प्रतिशत ऋण ( ₹ 11937 करोड़ ) की पांच वर्षों से अधिक अवधि में अदायगी की जानी अपेक्षित है। 31 मार्च 2013 को लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा चार्ट 1.9 में प्रदर्शित है:

<sup>10</sup>परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

<sup>11</sup> परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

<sup>12</sup>परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें



अपने व्यय देयताओं का निर्वहन करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ा, क्योंकि विगत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में राजकोषीय अधिशेष उपलब्ध नहीं था। 31 मार्च 2013 को लोक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा यह प्रदर्शित करती है कि लोक ऋण का 36 प्रतिशत सात वर्षों व इससे अधिक की परिपक्वता अवधि के अन्तर्गत था।

### 1.10.3 बाजार उधारों की समीक्षा

#### 1.10.3.1 परिचय

राजकोषीय घाटा वर्ष के दौरान सरकार की उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। उधारों का लेखांकन समेकित निधि (ई-लोक ऋण) के अंतर्गत किया जाता है। राज्य सरकार के आंतरिक ऋण तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम मुख्य भाग हैं। आंतरिक ऋणों का पुनः बाजार ऋणों तथा परक्राम्य ऋणों में विभाजन किया जाता है।

बाजार उधारों को केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबन्धन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की सहमति बिना कोई ऋण नहीं उठा सकती, यदि वे केन्द्र सरकार की ऋणी हैं। राज्य सरकारें दिनांकित प्रत्याभूतियां, विभिन्न अवधियों के राज्य विकास ऋणों को जारी करती है। वर्तमान समीक्षा का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2008-13 की अवधि के दौरान उठाए गए बाजार ऋणों की आवश्यकता और उपयोगिता का निर्धारण करना है।

### 1.10.3.2 बाजार उधारों की स्थिति

2008-09 से 2012-13 की अवधि के बाजार उधारों की वर्षवार स्थिति को तालिका 1.27 में इंगित की गई है।

तालिका 1.27

#### बाजार ऋणों की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	बाजार ऋणों का अथशेष	वर्ष के दौरान उठाये गये बाजार ऋण	वर्ष के दौरान चुकाये गये बाजार ऋण	अंत शेष	अथशेष के सम्बन्ध में निवल वृद्धि	विगत वर्ष से सम्बन्धित प्रतिशत वृद्धि
2008-09	5905.62	1912.01	159.61	7658.02	1752.41	29.67
2009-10	7658.02	1420.00	242.97	8835.05	1177.03	15.37
2010-11	8835.05	644.89	255.65	9224.29	389.24	4.40
2011-12	9224.29	1325.00	402.62	10146.68	922.39	10.00
2012-13	10146.68	2360.00	697.85	11808.83	1622.15	15.99

स्रोत: वित्त लेखे/वित्त विभाग

बाजार उधार 2008-09 के आरम्भ में ₹ 5905.62 करोड़ से 99.96 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 के अंत तक ₹ 11808.83 हो गये। राज्य सरकार द्वारा बाजार उधारों में 2008-09 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान कमी की प्रवृत्ति दर्शाई गई परन्तु 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 680.11 करोड़ तथा ₹ 1035 करोड़ की वृद्धि दर्शाई गई।

### 1.10.3.3 ऋण धारणीयता सूचक

राज्य सरकार के ऋण धारणीयता सूचक तालिका 1.28 में दिये गये हैं।

तालिका 1.28

#### ऋण धारणीयता सूचक

(₹ करोड़)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सकल देयताएं	21818.96	23713.06	26414.74	28227.52	30442.43
लोक ऋण*	15427.23	17112.95	18654.37	19510.69	20765.02
सकल बाजार ऋण	7658.02	8835.05	9224.29	10146.68	11808.83
सकल देयताओं के प्रति बाजार ऋणों की	35.10	37.26	34.92	35.95	38.79



प्रतिशतता					
लोक ऋण के प्रति बाजार ऋण की प्रतिशतता	49.64	51.63	49.45	52.01	56.87
बाजारी ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर- वित्तीय वर्षवार	7.81	8.36	8.45	8.87	8.77
बाजार ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज	472.08	592.50	678.40	706.56	849.54
चालू मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	41483.00	48188.00	56355.00	63812.00	72076.00
प्रतिशत में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर	22.15	16.16	16.95	13.23	12.95
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर एवं ब्याज दर अनुपात	2.84:1	1.58:1	1.94:1	1.49:1	1.48:1
राजस्व प्राप्ति अनुपात के प्रति सकल ब्याज भुगतान	0.20:1	0.19:1	0.15:1	0.15:1	0.15:1
प्राथमिक अधिशेष (+) / घाटा (-)	(-)384.26	(-)828.06	(-)582.77	(+)496.65	(-)608.51
राजस्व अधिशेष (+) / घाटा (-)	(-)130.14	(-)804.65	(-)1235.44	(+)644.89	(-)576.13
राजकोषीय घाटा	2277.83	2783.91	2532.54	1633.05	2978.41
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति कुल देयताओं की प्रतिशतता	52.60	49.21	46.87	44.23	42.24
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति लोक ऋण की प्रतिशतता	37.19	35.51	33.10	30.58	28.81
बकाया गारंटियां	2290.75	1949.23	3909.90	3316.43	3353.36
विगत वित्तीय वर्ष की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां	9141.55	9307.99	10346.36	12710.61	14542.86
राजस्व प्राप्तियों के प्रति बकाया गारंटियों की प्रतिशतता	25.06	20.94	37.79	26.09	23.06

\* आन्तरिक ऋण तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं

सकलराज्य घरेलू उत्पाद के प्रति कुल देयताओं की प्रतिशतता 2008-09 में 52.60 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 42.24 प्रतिशत हो गई थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति लोक ऋण की प्रतिशतता 2008-09 में 37.19 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 28.81 प्रतिशत हो गई। लोक ऋण में बाजार ऋण का शेयर 2008-09 में 49.64 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 56.87 प्रतिशत हो गया।

#### 1.10.3.4 बाजार ऋण का पार्श्व चित्र

विगत पांच वर्षों के दौरान उठाये गये बाजार ऋणों का पार्श्व चित्र तालिका 1.29 में दिया गया है।

तालिका 1.29  
बाजार ऋण का पार्श्वचित्र

(₹ करोड़)

ऋण की अवधि	उठाये गये ऋण की राशि					योग
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
3-5 वर्ष	--	--	---	---	600	600
5-7 वर्ष	---	---	---	---	400	400

>7 वर्ष	1912	1420	645	1325	1360	6662
वर्ष के दौरान दिया गया कुल ऋण	1912	1420	645	1325	2360	7662
31 मार्च तक कुल बकाया	7658.02	8835.05	9224.29	10146.68	11808.83	
कुल बकाया ऋण के प्रति वर्ष के दौरान उठाये गये ऋण की प्रतिशतता	24.96	16.07	6.99	13.05	19.99	

स्रोत: वित्त विभाग एवं वित्त लेखे

2008-13 के दौरान ₹ 7662 करोड़ के कुल बाजार उधारों में से 86.95 प्रतिशत ऋण 10 वर्षों की परिपक्व अवधि के थे। कम परिपक्व अवधि के ₹ 1000 करोड़ के ऋण केवल 2012-13 के दौरान ही उठाये गये हैं। वित्त विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि कम परिपक्व अवधि के ऋणों की ओर बदलाव राज्य सरकार के विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का एक भाग था। यह समस्त वित्तीय पहलुओं जैसाकि अच्छी दरों, समग्र भविष्य भुगतानों, आदि के दृष्टिगत किया गया था।

### 1.10.3.5 बाजार ऋणों की भारत औसतन परिपक्व अवधि

प्रतिभूति सहित रेहनों की परिपक्वता से पूर्व बचा हुआ औसत समय, जिसे बाजारी उधारों की प्रतिशतता के द्वारा भारत किया जाता है, भारत औसत परिपक्वता कहलाती है। विगत पांच वर्षों के दौरान बाजार ऋणों की भारत औसतन परिपक्व अवधि की स्थिति तालिका 1.30 में दी गई है।

#### तालिका 1.30

#### बाजार ऋणों की भारत औसतन परिपक्व अवधि

(वर्षों में)

वर्ष	भारत औसतन परिपक्व अवधि	
	वर्ष के दौरान मामले	बकाया बाजार ऋण
2008-09	10	10.12
2009-10	10	10.08
2010-11	10	10.05
2011-12	10	10.01
2012-13	7.63	9.53

2008-09 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान बाजार उधारों की भारत औसतन परिपक्वता 10 वर्षों पर स्थिर थी, परन्तु 2012-13 में 3 से 5 वर्षों ₹ 2360 करोड़ में से ₹ 1000 करोड़) के अपेक्षाकृत कम परिपक्वता के बाजार ऋणों को उठाने के कारण यह 2012-13 के दौरान गिर कर 7.63 वर्ष हो गई। 2012-13 के अंत में बाजार उधारों के बकाया स्टॉक की भारत औसत परिपक्वता भी 2008-09 के अंत में 10.12 वर्षों से गिर कर 9.53 वर्ष हो गई।

### 1.10.3.6 बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति

2014-21 की अवधि के बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति की वर्षवार स्थिति तालिका 1.31 में दी गई है।

#### तालिका 1.31

#### बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति (31 मार्च 2013 तक)

(₹ करोड़)

परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता राशि	बकाया बाजार ऋणों की प्रतिशतता के रूप में
2014-15	714.36	6.04
2015-16	785.55	6.65
2016-17	1237.35	10.47

2017-18	1799.01	15.23
2018-19	1912.00	16.19
2019-20	1420.00	12.02
2020-21	645.00	5.46

टिप्पणी: मार्च 2013 तक बकाया ऋण = ₹ 11808.83 करोड़

2017-18 तथा 2018-19 वर्षों के दौरान बकाया ऋणों के क्रमशः 15.23 प्रतिशत तथा 16.19 प्रतिशत के विमोचन पर विशेष दबाव सहित आगामी सात वर्षों में बकाया बाजार ऋणों की औसतन 10.29 प्रतिशत की परिपक्वता राशि अंतर्विष्ट थी।

वित्त विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि राष्ट्रीय लघु बचत निधि ऋण, परक्राम्य ऋण, भारत सरकार से ऋण आदि जैसे अन्य उधारों सहित राज्य सरकार के समग्र ऋणों पर विचार करने के उपरांत समूचे भुगतान अनुपातिक रूप से बढ़ जाएंगे। तथापि, राज्य सरकार ने समूचे ऋण की परिपक्वता प्रवृत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

### 1.10.3.7 बाजार ऋणों का ब्याज दर पार्श्वचित्र

वर्षवार औसत ब्याज दरें जिन पर सरकार द्वारा 2008-13 की अवधि के दौरान बाजार ऋण प्राप्त किये गये थे तालिका 1.32 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.32

#### बाजार ऋणों का ब्याजदर पार्श्वचित्र

(₹ करोड़ )

ब्याज दर ( प्रतिशत)	वर्ष के दौरान उठाये गये बाजार ऋण					योग
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
5 के नीचे	-	-	-	-	-	-
5-5.99	-	-	-	-	-	-
6-6.99	200	-	-	-	-	200
7-7.99	700	-	-	-	-	700
8-8.99	1012	1420	645	1120	2360	6557
9-9.99	-	-	-	205	-	205
10-10.99	-	-	-	-	-	-
भारित औसतन ब्याज दर ( प्रतिशत)	7.81	8.36	8.45	8.87	8.77	-

स्रोत: वित्त विभाग

बाजार ऋणों पर भारित औसतन ब्याज दर 2008-09 में 7.81 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 8.87 प्रतिशत हो गई तथा फिर 2012-13 में थोड़ी गिर कर 8.77 प्रतिशत हो गई। 2008-12 के दौरान 10 वर्षों के पूर्ववर्ती वर्षों की परिपक्वता की तुलना में 2012-13 में कमी तीन से पांच वर्षों की कम परिपक्वता वाले ऋण उठाने के कारण थी।

### 1.10.3.8 राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान

तालिका 1.33 विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतानों के अनुपात को प्रदर्शित करती है।

तालिका 1.33

#### राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के प्रति ब्याज भुगतान

(₹ करोड़)

राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सकल ब्याज भुगतान					
विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ब्याज भुगतान	1893.57	1955.85	1949.77	2129.70	2369.90
राजस्व प्राप्तियां	9307.99	10346.36	12710.61	14542.86	15598.12
राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	20.34	18.90	15.34	14.64	15.19

स्रोत: वित्त लेखे

2008-12 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 20.34 प्रतिशत से गिरकर 14.64 प्रतिशत हो गई, परन्तु 2012-13 में थोड़ी सी बढ़कर 15.19 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार राज्य की समग्र ऋण वहन क्षमता में 2008-09 से 2011-12 के दौरान सुधार हुआ। तथापि, राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान की प्रतिशतता में 2012-13 के दौरान थोड़ी सी वृद्धि हुई।

### 1.10.3.9 बजट आकलनों से बाजार उधारों में परिवर्तन

बाजारऋणों के सम्बन्ध में 2008-09 से 2012-13 तक के वर्षों के बजट आकलनों तथा संशोधित आकलनों की नमूना जांच के दौरान बजट आकलन तथा बाजार उधारों की वास्तविक राशि में भिन्नता पाई गई, जिसे तालिका 1.34 में प्रदर्शित किया गया है।

#### तालिका 1.34

#### बजट आकलन एवं वास्तविक बाजार उधार

(₹ करोड़)

वर्ष	बजट आकलनों के अनुसार बाजार उधार	वास्तविक बाजार उधार	बजट आकलन प्रतिशत के रूप में वास्तविक बाजार उधार
2008-09	2103.07	1912.01	90.92
2009-10	1593.49	1420.00	89.11
2010-11	1725.01	644.89	37.38
2011-12	1497.94	1325.00	88.45
2012-13	2551.11	2360.00	92.51

2008-13 की अवधि के दौरान बजट आकलनों की प्रतिशतता के रूप में वास्तविक बाजार उधार 37.38 प्रतिशत तथा 92.51 प्रतिशत के मध्य रही, जो 2010-11 वर्ष के दौरान अवास्तविक बजट आकलनों को इंगित करते हैं। वित्त विभाग के अभिलेखों की छानबीन से पाया गया कि भिन्नता 2010-11 के दौरान राज्य भविष्य निधि, लघु बचतों तथा परक्राम्य ऋणों में अधिक अंशदान के कारण थी।

वित्त विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि वास्तविक उधार विभिन्न कारकों पर निर्भर थे जैसाकि भारत सरकार से संवैधानिक सहमति, वर्ष के दौरान उधारों के अन्य स्रोतों से निधियों का आगमन तथा निधियों की वास्तविक आवश्यकता। तथापि, राज्य सरकार ने बजट आकलनों तथा वास्तविक बाजार उधारों के मध्य पाए जाने वाले परिवर्तनों के वर्षवार कारणों का उल्लेख नहीं किया।

### 1.11 राजकोषीय असंतुलन


तीन मुख्य राजकोषीय प्राचल-राजस्व, राजकोषीय एवं मूल घाटा एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा का प्रदर्शन करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा

इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर को प्रस्तुत करता है। घाटे का स्वरूप सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का सूचक है। इसके अतिरिक्त, विधि जिसमें घाटे को वित्तपोषित किया जाता है तथा जुटाये गये साधनों का उपयोग किया जाता है, इसकी राजकोषीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है। यह शाखा इन घाटों के वित्तपोषण की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा एवं विधि तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व के वास्तविक स्तर तथा राजकोषीय घाटे के निर्धारण को भी प्रस्तुत करता है।


### 1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.10 एवं 1.11 2008-13 की अवधि के लिए घाटे के सूचकों की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं:

चार्ट1.10: घाटे के सूचकों की प्रवृत्ति(₹ करोड़)



**चार्ट 1.11: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियां  
(सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आंकड़े)**



**चार्ट 1.10 एवं 1.11** दर्शाते हैं कि वर्ष 2011-12 के अतिरिक्त जब राज्य ने क्रमशः ₹ 645 करोड़ एवं ₹ 497 करोड़ का राजस्व एवं मूल अधिशेष पाया, 2008-13 के दौरान राजस्व, राजकोषीय एवं मूल सभी लेखों में भारी घाटे की स्थिति का अनुभव किया गया। 2008-09 में राज्य का ₹ 130 करोड़ का राजस्व घाटा था जो और कम हो कर 2010-11 में ₹ 1,235 करोड़ हो गया। 2011-12 में राजस्व अधिशेष की स्थिति से ₹ 374 करोड़ के राजस्व अधिशेष के बजट आकलन के प्रति राज्य को 2012-13 के दौरान ₹ 576 करोड़ के राजस्व घाटे की अनुभूति हुई। वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व घाटे के मुख्य कारण राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन संशोधन तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता के बकायों के भुगतान के कारण राजस्व व्यय (16.37 प्रतिशत) में ₹ 2276 करोड़ की वृद्धि एवं विगत वर्ष की तुलना में ₹ 538 करोड़ (28 प्रतिशत) के कर-भिन्न राजस्व की कमी थी। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटा 2011-12 में ₹ 1633 करोड़ से ₹ 1346 करोड़ बढ़कर 2012-13 के दौरान ₹ 2979 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.13 प्रतिशत था, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये प्रक्षेपणों (अर्थात 3 प्रतिशत) से अधिक था। 2011-12 में ₹ 497 करोड़ का मूल अधिशेष 2012-13 में 222 प्रतिशत का परिवर्तन सूचित करते हुए ₹ 609 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हुआ।

### 1.11.2 राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तीय स्वरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीय ढांचे में एक रचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा कि तालिका 1.35 में दर्शाया गया है।

## तालिका1.35

## राजकोषीय घाटे का संघटन तथा इसका वित्तीय ढांचा

(₹ करोड़)

	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
<b>राजकोषीय घाटे का अपघटन</b>						
1	राजस्व घाटा/अधिशेष	(-) 130 ( (-)0.31)	(-) 805 ( (-) 1.67)	(-)1,235 ( (-)2.19)	(+) 645 ( 1.01)	(-) 576 ( (-)0.80)
2	पूँजीगत व्यय	2079 (5.01)	1943 (4.03)	1789 (3.17)	1810 (2.84)	1955 (2.71)
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	69 (0.17)	36 (0.07)	154 (0.27)	468 (0.73)	448 (0.62)
<b>राजकोषीय घाटे का वित्तीय ढांचा*</b>						
1	बाजार उधार	1752	1177	389	922	1662
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 44	13	(-)23	(-) 13	71
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	60	396	650	127	286
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-) 406	78	526	(-) 180	(-) 764
5	लघु बचतों, भविष्य निधि आदि	515	546	888	636	1112
6	निक्षेप एवं अग्रिम	217	265	333	178	(-) 156
7	उचन्त एवं विविध	53	117	137	(-) 119	756
8	प्रेषण	(-) 2	75	48	(-) 127	(-) 174
9	अन्य	151	117	(-)416	209	185
10	समग्र अधिशेष/घाटा	(-) 2278	(-) 2784	(-)2532	(-) 1633	(-) 2979
कोष्ठकों के आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रतिशत इंगित करते हैं।						
*ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरणों/बाह्य प्रवाह का निवल हैं।						

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य की राजकोषीय स्थिति में 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भारी घाटे की अनुभूति हुई, जो 2010-11 तथा 2011-12 में घट कर क्रमशः ₹ 2532 करोड़ तथा ₹ 1633 करोड़ हो गए। 2012-13 के दौरान राज्य की राजकोषीय स्थिति बिगड़ गई तथा इसका घाटा ₹ 2979 करोड़ पर स्थिर था, जिसे बाजार से उधारों (₹ 1662 करोड़), लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि (₹ 1112 करोड़) तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधियों (₹ 286 करोड़) को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के द्वारा वित्तपोषित किया गया। 2012-13 के दौरान, बाजार उधारों तथा लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि सबमें घाटे के 93 प्रतिशत को वित्तपोषित किया गया, जिससे भविष्य में ब्याज का भार बढ़ेगा।

**1.11.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता**

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे तथा राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) का अनुपात राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करता है। राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात उस सीमा जिस तक उधार निधियों का चालू उपभोग हेतु प्रयोग किया गया, को सूचित करता है।

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात सूचित करता है कि किस सीमा तक उधार ली गई निधियां चालू उपभोग हेतु प्रयुक्त की गईं। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटे के संदर्भ में राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात यह भी इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर कम हो रहा है तथा उधारों (राजकोषीय देयताएं) का कोई परिसम्पत्ति पृष्ठ पोषण नहीं है। 2008-09 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात 0.06 था, जो 2010-11 में सारभूत रूप से बढ़ कर 0.49 हो गया। 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात 0.19 था।

प्राथमिक घाटे (तालिका 1.36) का द्विभाजन पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटे की मात्रा को इंगित करता है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को सुधारने के लिए वांछनीय है।

### तालिका 1.36

#### प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का द्विभाजन

(₹ करोड़)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल मूलभूत व्यय (3+4+5)	प्राथमिक राजस्व अधिशेष (2-3)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (2-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2008-09	9329	7544	2079	90	9713	1785	(-) 384
2009-10	10380	9195	1943	70	11208	1185	(-) 828
2010-11	13430	11996	1789	227	14012	1434	(-) 582
2011-12	14568	11768	1810	493	14071	2800	(+) 497
2012-13	15619	13804	1955	469	16228	1815	(-) 609

2008-09 से आगे राज्य की गैर-ऋण प्राप्ति प्राथमिक व्यय की तुलना में अधिक थी, जो इस व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। 2008-09 से गैर-ऋण प्राप्ति प्राथमिक राजस्व व्यय की तुलना में 2008-09 में ₹ 1785 करोड़ से गिर कर 2009-10 में ₹ 1185 करोड़ हो गई, परन्तु 2010-11 में ₹ 1434 करोड़ तथा 2011-12 में ₹ 2800 करोड़ की निरन्तर वृद्धि हुई, तथा चालू वर्ष 2012-13 के दौरान घट कर ₹ 1815 करोड़ हो गई।

कुल प्राथमिक व्यय 2008-13 की अवधि के दौरान ₹ 9713 करोड़ से ₹ 16228 करोड़ हो कर ₹ 6515 करोड़ बढ़ गया, जो 2008-09 में ₹ 7544 करोड़ से 2012-13 में ₹ 13804 करोड़ हो कर ₹ 6260 करोड़ बढ़ जाने तथा 2008-09 में ₹ 2079 करोड़ से 2012-13 में ₹ 1955 करोड़ हो कर पूंजीगत व्यय में ₹ 124 करोड़ घट जाने के कारण था।

राज्य का 2008-09 में ₹ 384 करोड़ का प्राथमिक घाटा था, जो आगे 2009-10 में बढ़ कर ₹ 828 करोड़ हो गया। 2010-11 में सुधार के पश्चात 2011-12 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 497 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया। तथापि, राज्य को 2012-13 में ₹ 609 करोड़ के मूलभूत घाटे की अनुभूति हुई। 2012-13 के दौरान प्राथमिक घाटा मुख्यतः विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2276 करोड़ (16.38 प्रतिशत) के राजस्व व्यय में सार्थक वृद्धि के कारण था।



### 1.12 राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य के वित्त पर वर्ष 2008-09 से आगे पृथक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है, परन्तु राज्य सरकार ने वर्ष 2009-10 से आगे के प्रतिवेदनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित टिप्पणी/उत्तर प्रस्तुत नहीं किए थे। लोक लेखा समिति द्वारा राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी थी।

### 1.13 निष्कर्ष

राज्य की राजकोषीय स्थिति का अध्ययन राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों के राजकोषीय प्राचलों के अंतर्गत किया जाता है। राज्य ने विगत वर्ष के राजस्व अधिशेष (₹ 645 करोड़) के सापेक्ष के प्रति चालू वर्ष के दौरान ₹ 576 करोड़ का राजस्व घाटा पाया। विगत वर्ष की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियां (₹ 15598 करोड़) सात प्रतिशत बढ़ीं (₹ 1055 करोड़), जबकि राजस्व व्यय ₹ 2276 करोड़ (16 प्रतिशत) बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 645 करोड़ के राजस्व अधिशेष की तुलना में ₹ 576 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। राजस्व लेखा तेरहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में किये गये प्रक्षेपणों को पूरा नहीं कर सका।

2012-13 के दौरान विगत वर्ष का ₹ 497 करोड़ का प्राथमिक राजस्व अधिशेष ₹ 609 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया। 2012-13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा 4.13 प्रतिशत था, जो तीन प्रतिशत के राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार नहीं था।

2012-13 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 87 प्रतिशत था, तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय भी राजस्व व्यय का 87 प्रतिशत था। योजनागत राजस्व व्यय विगत वर्ष की अपेक्षा 22 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की अपेक्षा आठ प्रतिशत (₹ 1955 करोड़) की वृद्धि हुई। सरकारी निवेशों पर आय की कम दर तथा ऋणों एवं अग्रिमों पर अपर्याप्त ब्याज लागत वसूली चिंता का विषय था। चालू वर्ष के दौरान ₹ 7066 करोड़ का वेतन व्यय मध्यम अवधिराजकोषीय योजना विवरण (₹ 6285 करोड़) में किये गये प्रक्षेपणों से बढ़ गया था।

2012-13 के दौरान भारत सरकार ने विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के माध्यम की बजाय सीधे ₹ 1202 करोड़ का अंतरण किया। इन निधियों के व्यय का अनुश्रवण करने के लिए कोई अभिकरण नहीं है।

आठ प्रतिशत की वृद्धि के साथ विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएं ₹ 30442 करोड़ थी तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 42 प्रतिशत थी। कुल लोक ऋण में बाजार ऋणों का हिस्सा 2008-09 में 49.64 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 56.87 प्रतिशत हो गया। 2017-18 तथा 2018-19 वर्षों के दौरान बकाया ऋण के क्रमशः 15.23 प्रतिशत तथा 16.19 प्रतिशत विमोचन पर सार्थक दबाव सहित आगामी सात वर्षों में परिपक्व राशि बकाया बाजार ऋणों की 10.29 प्रतिशत थी।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के लेखों को 2010-11 तक अंतिम रूप दिया जा चुका है जिनमें कम्पनी ने ₹ 885.59 करोड़ की संचित हानियां दर्शाई हैं। जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003 में प्रकल्पित था, सच्चे अर्थों में विखंडन नहीं किया गया है।

जुलाई 2005 और दिसम्बर 2012 के मध्य पूर्ण की जाने वाली 12 परियोजनाएं जिनमें ₹ 115 करोड़ का अवरोधन था, 31 मार्च 2013 तक अधूरी थी।

विभिन्न इकाइयों को ₹ 7.50 करोड़ के ऋण अग्रिम दिये गये थे जिनकी वसूली के लिए निबन्धन एवं शर्तें छः वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद भी तय नहीं की गई थी।

### 1.14 सिफारिशें

सरकारद्वारा:

- अत्यधिक आकलनों से बचने के लिए बजट आकलनों में सुव्यवस्थित घटकों का सुदृढ़ीकरण करना;
- निधियों के उधारों को कम करने के लिए राज्य की अपनी प्राप्तियों के संग्रहण का सुदृढ़ीकरण करना;
- वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वचनबद्धताओं को खोजने के लिए एक पद्धति विकसित करना; तथा
- भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई निधियों के संदर्भ में प्राप्तियों तथा व्ययों पर आवधिक सूचना प्राप्त करने के लिए प्रबन्धन सूचना प्रणाली में सुधार करना।